



मिशन विवरण और दिशानिर्देश



शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार
जून 2015

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

मिशन विवरण और दिशानिर्देश



भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(जून, 2015)

विषय—सूची

1. प्रमुख क्षेत्र	6
2. कवरेज	6
3. मिशन घटक	6
4. धनराशि का आबंटन	8
5. वित्तपोषित किए जाने वाले घटक	10
6. सेवा स्तरीय सुधार योजनाओं (एसएलआईपी) को तैयार करना	11
7. राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)	14
8. कार्य निष्पादन	15
9. निधियां जारी करना	17
10. कार्यक्रम प्रबंधन संरचना	18
11. परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन	22
12. शहरी सुधार	24
13. क्षमता निर्माण	24
14. परियोजनाओं की निगरानी	25
15. जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी)	25
16. लेखा परीक्षा और मुकदमें संबंधी मामले	25
17. जेएनएनयूआरएम की अपूर्ण परियोजनाएं	26

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 : अमृत शहरों के लिए सुधार उपलब्धि और समय—सीमा	29
अनुलग्नक 2 : राज्य वार्षिक कार्य योजना का प्रारूप	32
अनुलग्नक 3 : सी—डैक द्वारा विकसित स्मार्ट समाधान की सूची	59
अनुलग्नक 4 : शहरों/राज्यों के लिए अंक सूची	60
अनुलग्नक 5 : उपयोग प्रमाण—पत्र का प्रारूप (शहर—वार)	61
अनुलग्नक 6 : परियोजना निधि हेतु अनुरोध	62
अनुलग्नक 7 : वार्षिक क्षमता निर्माण योजना	65
अनुलग्नक 8 : आद्योपान्त सहायता का क्षेत्र	74

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं (अर्थात्, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने और सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसरंचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतया गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। उच्चाधिकार प्राप्ति विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) द्वारा वर्ष 2011 के दौरान वर्ष 2009–10 की कीमतों पर 20 वर्ष की अवधि के लिए अपेक्षित धनराशियों का एक आकलन किया गया था। समिति ने यह आकलन किया कि शहरी अवसरंचना के निर्माण के लिए 39.2 लाख करोड़ रु0 की राशि अपेक्षित थी जिसमें शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ रु0 और जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी जैसी सेवाओं के लिए 8 लाख करोड़ रु0 शामिल हैं। इसके अलावा, प्रचालन और अनुरक्षण (ओएंडएम) के लिए 19.9 लाख करोड़ रु0 का अलग से अनुमान लगाया गया था।

पूर्ववर्ती मिशन से प्राप्त अनुभव से यह पता चला है कि अवसरंचना सृजन का सभी परिवारों को जल और शौचालय कनैक्शन की सुलभता जैसी लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अवसरंचना सृजन पर मुख्य जोर हो जो लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 09 जून, 2014 और 23 फरवरी, 2015 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया।

अतः अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य (i) यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ हो (ii) हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात् पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना और (iii) गैर-मोटरीकृत परिवहन (अर्थात् पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिए सुविधाओं के निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना। ये सभी परिणाम नागरिकों विशेषतया महिलाओं के लिए महत्वात्मक हैं और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बैंचमार्क (एसएलबी) के रूप में संकेतक और मानक निर्धारित किए गए हैं।

तथापि, बेहतर परिणामों का प्रयास सभी को नल और सीवरेज कनैक्शन (सभी को शामिल करते हुए) प्रदान करने पर नहीं रुकेगा। सभी को सेवाएं प्रदान करने के बैंचमार्क का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्रम दर क्रम प्रक्रिया का अनुसरण करके अन्य बैंचमार्क का लक्ष्य बनाया जाएगा। बैंचमार्क प्राप्त करने की ऐसी उत्तरोत्तर प्रक्रिया को 'इंक्रीमेंटलिज्म' कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य सेवा स्तरीय बैंचमार्क कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्रिया में सेवा स्तरीय बैंचमार्क राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार धीरे-धीरे प्राप्त किए जाते हैं। शहरी परिवहन के क्षेत्र में, बैंचमार्क का उद्देश्य निर्माण करते समय शहरों में प्रदूषण को कम करना है और वर्षा जल निकासी की अनुरक्षण लागत कम होने की आशा है और अन्ततः शहरों में बाढ़ की समस्या को समाप्त करता है जिससे शहरों को अधिक लचीला बनाया जा सकेगा।

पहले, शहरी विकास मंत्रालय परियोजना-दर-परियोजना स्वीकृति प्रदान करता था। अमृत में इसका, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन द्वारा प्रतिस्थापन किया गया है और राज्यों को अपने स्तर पर परियोजनाएं को स्वीकृति और अनुमोदन प्रदान करना होगा। इस प्रकार, अमृत राज्यों को परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाता है; अतः सहकारी एकीकरण की भावना झलकेगी।

मिशन को सफल बनाने के लिए एक सुदृढ़ सांस्थानिक संरचना मूल आधार है। अतः क्षमता निर्माण और सुधारों को मिशन में शामिल कर लिया गया है। सुधारों से सेवा सुलभता और संसाधन जुटाने में वृद्धि होगी और नगरपालिका के संचालन को अधिक पारदर्शी बनाएगा और पदाधिकारियों को अधिक जबावदेह बनाएंगे जबकि क्षमता निर्माण नगरपालिका पदाधिकारियों को अधिकार प्रदान करेगा और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

1. प्रमुख क्षेत्र

1.1 मिशन में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा :

- i. जलापूर्ति,
- ii. सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन,
- iii. बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले,
- iv. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और
- v. विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।

2. कवरेज

2.1 अमृत के अंतर्गत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा। शहरों की सूची की अधिसूचना उपयुक्त समय पर जारी की जाएगी। उन शहरों की श्रेणी जिन्हें अमृत में शामिल किया जाएगा, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- i. छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे,
- ii. 2.1 (i), में शामिल नहीं किए गए सभी राजधानी शहर/राज्यों के कस्बे/संघ राज्य क्षेत्र
- iii. हृदय स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे,
- iv. 75000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहरों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारे पर हैं, और
- v. पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य) से एक से अधिक शहर नहीं)

3. मिशन घटक

3.1 अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसरणना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

3.1.1 जलापूर्ति

- i. मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली,
- ii. शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनर्स्थापन,
- iii. विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार,
- iv. उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति प्रबंधन।

3.1.2 सीवरेज

- i. मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संबद्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियां,
- ii. पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुनर्स्थापन,
- iii. लाभकारी प्रयोजनों के लिए जल का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

3.1.3 सेप्टेज

- i. मल गाद प्रबंधन—कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन,
- ii. सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

3.1.4 वर्षा जल निकासी

- i. बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्यों से नालों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार

3.1.5 शहरी परिवहन

- i. अंतर्देशीय जल मार्ग (पोत/खाड़ी अवसरंचना को छोड़कर) के लिए जलयान और बस,
- ii. गैर मोटरीकृत परिवहन (जैसे साईकिलों) के लिए फुटपाथ/पथ, पटरी, फुट ओवर ब्रिज,
- iii. बहुस्तरीय पार्किंग,
- iv. द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस)।

3.1.6 हरित स्थल और पार्क

- i. बच्चा हितैशी घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल और पार्कों का निर्माण करना।

3.1.7 सुधार प्रबंधन और सहायता

- i. सुधार कार्यान्वयन के लिए सहायता सरंचना, कार्यकलाप और वित्तपोषण सहायता,
- ii. स्वतंत्र सुधार मॉनीटरिंग एजेंसियां।

3.1.8 क्षमता निर्माण

- i. इसके दो घटक हैं— व्यक्तिगत और सांस्थानिक क्षमता निर्माण,
- ii. क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक सीमित नहीं होगा बल्कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा,
- iii. नए मिशनों के साथ इसके रिएलायनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी)।

3.1.9 अस्वीकार्य घटकों की सांकेतिक सूची (सम्पूर्ण नहीं)

- i. परियोजनाओं अथवा परियोजना संबंधित कार्यों के लिए भूमि की खरीद,
- ii. राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए स्टाफ के वेतन,

- iii. विद्युत,
- iv. दूरसंचार,
- v. स्वास्थ्य,
- vi. शिक्षा, और
- vii. मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्टॉफ घटक।

4. धनराशि का आवंटन

4.1 वित्त वर्ष 2015–16 से 5 वर्ष के लिए अमृत के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रु0 है और मिशन को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके बाद अमृत को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में और मिशन में मिले अनुभव को शामिल करते हुए जारी रखा जाएगा। मिशन निधियों में निम्नलिखित चार भाग शामिल होंगे :

- i. परियोजना निधि—वार्षिक बजटीय आवंटन के 80%
- ii. सुधारों के लिए प्रोत्साहन—वार्षिक बजटीय आवंटन के 10%
- iii. प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए एंड ओई) के लिए राज्य की निधि—वार्षिक बजटीय आवंटन के 8%
- iv. प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए एंड ओई) के लिए शहरी विकास मंत्रालय की निधि—वार्षिक बजटीय आवंटन का 2%

तथापि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना निधि वार्षिक बजटीय आवंटन का 90% होगी क्योंकि सुधारों के लिए प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2016–17 से ही दिया जाएगा। मिशन निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर आवंटित की जाएंगी।

4.2 परियोजना निधि

प्रत्येक वर्ष के शुरूआत में परियोजना निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित की जाएगी। वार्षिक बजटीय आवंटन की संवितरण के लिए एक समान फार्मूला का उपयोग किया जाएगा जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (जनगणना 2011) के शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सांविधिक करस्बों की संख्या को बराबर (50:50) महत्व दिया गया है। चूंकि सांविधिक करस्बों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किया जाता है और मिशन अवधि के दौरान परिवर्तित किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष इस संख्या में परिवर्तन के फार्मूले को ध्यान में रखा जाएगा। आवंटित परियोजना निधि की राशि के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त समय पर सूचित किया जाएगा। परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता (सीए) अनुमोदित लागत (पैरा 9) के 20:40:40 की तीन किश्तों में होंगी।

4.3 सुधार के लिए प्रोत्साहन

मिशन का एक उद्देश्य सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। मिशन अवधि के दौरान 11 सुधारों का कार्यान्वयन किया जाएगा। सूची अनुलग्नुक 1 में दी गई है। राज्यों के लिए प्रोत्साहन के अनुदान निम्न सिद्धांतों से शासित होंगे।

- i. पिछला अनुभव दर्शाता है कि यदि परियोजना निधि जारी करना अपूर्ण सुधारों से जुड़ जाता है तो परियोजना में विलंब हो जाता है। इसलिए अमृत देने के बजाय प्रोत्साहन प्रदान करता है। वार्षिक

बजट आबंटन के 10% को अलग रखा जाएगा और सुधारों को प्राप्त करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। मिशन अनुवर्ती वित्तीय वर्ष (एफवाई) के शुरूआत में पूर्व वर्ष के लिए प्रोत्साहन देगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अनुलग्नक 2 के तालिका 5.5 में दिए गए निर्धारित प्रक्रिया में स्व-आकलन करेंगे। राष्ट्रीय मिशन निवेशालय स्व-आकलन की प्राप्ति होने पर राज्यों को प्रोत्साहन के पुरस्कार की घोषणा करेंगे।

- ii. प्रोत्साहन निधि एक अतिरिक्त धनराशि के रूप में है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मुहैया किया जाएगा और राज्य/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा कोई समान निधि दिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- iii. राज्य उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एसएचपीएससी) प्रोत्साहन राशि के उपयोग का निर्णय करेगी। प्रोत्साहन अवार्ड का उपयोग नई परियोजनाओं सहित अमृत के स्वीकार्य घटकों पर मिशन शहरों में किया जाएगा। एसएचपीएससी शहरी विकास मंत्रालय को परियोजनाओं पर प्रोत्साहन निधि के उपयोग के बारे में सूचना प्रदान करेगी।
- iv. प्रोत्साहन राशि को अमृत में परियोजना के राज्य अंश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके परियोजना वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- v. सुधार हेतु अनुपर्युक्त निधियों को प्रत्येक वर्ष में परियोजना निधि में परिवर्तित किया जाएगा।

4.4 राज्य निधि (प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय)

- i. निधियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैरा 4.2 में दिए गए समान सूत्र के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।
- ii. इन निधियों के उपयोग की सिफारिश एसएचपीएससी द्वारा की जाएगी और राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) का एक भाग तैयार किया जाएगा।
- iii. इस निधि को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा और वाहनों की खरीद, भवनों का निर्माण और रखरखाव, पदों के सृजन, वेतन का भुगतान और साज-समान के खरीद आदि के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. सभी स्तरों पर मिशन के कार्यान्वयन में सहायता के लिए संविदा पर व्यावसायिकों तथा सहायक दलों की भर्ती स्वीकार्य होगी जैसा कि दिशा-निर्देशों तथा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने के पश्चात निर्धारित किया जाए।
- v. क्षमता निर्माण के लिए निधियाँ उपर्युक्त परियोजना निधियों के लिए दिए गए समान किश्तों में जारी की जाएंगी।
- vi. सेवा के रूप में ई-म्यूनिसिपल्टी (ई-मास) से संबंधित गतिविधियां आरंभ करना।
- vii. अमृत मिशन के लोगों और टैगलाइन को सभी परियोजनाओं पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना।
- viii. चालू व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी) और स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) सहित मिशन कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं इस निधि से वित्त पोषण किए जाने हेतु पात्र होंगी।

4.5 शहरी विकास मंत्रालय की निधि (प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय)

- निधि राष्ट्रीय मिशन निदेशालय स्तर (शहरी परिवहन प्रभाग सहित) पर क्षमता निर्माण मिशन निदेशालय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन, पुरस्कार प्रदान करने और उत्तम व्यवहार के पहचान, उत्तम व्यवहारों का उन्नयन और पुनः प्रयोग और स्मार्ट समाधान, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों और अन्य संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और संबंध अध्ययन प्रारंभ करना आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।
- ई-मास से संबंधी गतिविधियां आरंभ करना।
- किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग के संबंध में शीर्ष समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

5. वित्तपोषित किए जाने वाले घटक

5.1 परियोजना की वित्तपोषण पद्धति निम्नानुसार है जिसमें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/निजी क्षेत्र का अंश दर्शाया गया है।

क्र.सं.	घटक	वित्त—पोषण पद्धति
1	जलापूर्ति:	<ul style="list-style-type: none"> नए, जलापूर्ति प्रणाली का संवर्द्धन और पुनर्स्थापन। जलापूर्ति के लिए जल निकायों का नवीकरण और भू-जल के पुनर्भरण। दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों हेतु विशेष प्रबंधन।
2	सीवरेज :	<ul style="list-style-type: none"> नए सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का संवर्धन और पुनर्स्थापन। लाभकारी उद्देश्यों के लिए जल का पुनःचक्रण और अपजल का पुनःउपयोग।
3	सेप्टेज :	<ul style="list-style-type: none"> मलगाद प्रबंधन (सफाई, दुलाई और शोधन), सेप्टिक टैंकों और सीवरों का विशेषतः यांत्रिक और जैविक सफाई।
4	वर्षा जल नाले :	<ul style="list-style-type: none"> नालियों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार।
5	शहरी परिवहन:	<ul style="list-style-type: none"> साईड बॉक्स, फुट ऑवर ब्रिज, गैर-मोटरीकृत परिवहन, बसें, बीआरटीएस, बहु-स्तरीय पार्किंग, जल मार्ग और नौका वाहिकाओं।

6	<ul style="list-style-type: none"> हरित स्थान और शिशु—अनुकूल घटकों हेतु विशेष प्रावधान के साथ पार्कों का विकास/पार्कों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ—रखरखाव हेतु प्रणाली का स्थापना करना होगा। 	भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का आधा और इन परियोजनाओं पर कुल व्यनय राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएलआईपी) के 2.5% से अधिक नहीं होगी।
7	<ul style="list-style-type: none"> क्षमता निर्माण और सुधारों का समर्थन 	शीर्ष समिति द्वारा निर्धारित मौजूदा मानदंडों और इकाई लागतों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पूरा (100%)
8	<ul style="list-style-type: none"> ए एंड ओई (पीएमयू/पीआईयू/डीपीआर लागत, आदि) 	

6. सेवा स्तरीय सुधार योजनाओं (एसएलआईपी) की तैयारी

- 6.1 जलापूर्ति और सीवरेज (सेटेज सहित) के साथ सभी परिवारों को शामिल करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके लिए अनुलग्नक 2 के भाग 2 में दिए गए अनुसार सेवा स्तरीय सुधार योजना (एसएलआईपी) प्रत्येक यूएलबी को तैयार करने हैं और कार्यनीतिक कदम नीचे दिए गए हैं।
- 6.2 **सेवा स्तरीय अंतराल का मूल्यांकन करना:** अमृत राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ जलापूर्ति तथा सीवरेज पर उपलब्ध आकड़ों, सूचनाओं तथा योजनाओं पर तैयार की गई है। यदि हम इस जोन को जलापूर्ति तथा सीवरेज की सीमा के वर्तमान स्तर के लिए आधार इकाई के रूप में लेते हैं तो इस जोन में परिवारों की संख्या, जिनके पास नल टॉटी/सीवरेज कनेक्शन है तथा जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, को जनगणना (2011) अथवा शहरी विकास मंत्रालय¹ द्वारा कराए गए आधारभूत सर्वेक्षण से लिया जाएगा। (कोई नया बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा राज्य/शहरी स्थानीय निकाय पूर्ववर्ती बेसलाइन को स्वीकार/संलग्न करें)। क्षेत्र—वार अंतरालों को यूएलबी में जलापूर्ति तथा सीवरेज में सेवा स्तरीय अंतरालों तक पहुंचने के लिए जोड़ा जाएगा।
- 6.3 **अंतराल को भरना :** जल तथा सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शन वाले परिवारों की वर्तमान संख्या की तुलना में कुल परिवारों की संख्या के बीच के अंतराल की एक बार गणना हो जाने पर, जलापूर्ति तथा सीवरेज के शीर्ष के अंतर्गत पैरा 3 में वर्णित घटकों के एक या अधिक का प्रयोग करते हुए अंतरालों को भरने के लिए योजनाओं को तैयार किया जाएगा। एक क्षेत्र में सभी परिवारों को शामिल किया जाएगा तथा जलापूर्ति और सीवरेज के लिए यह कार्य पृथक रूप से किया जाए तथा यह एसएलआईपी का भाग होगा (तालिका 2.1, अनुलग्नक 2)
- 6.4 **विकल्पों का मूल्यांकन :** शहरी स्थानीय निकाय को उनके पास उपलब्ध विकल्पों की जांच करनी होगी। उदाहरण के लिए, एक राज्य/शहरी स्थानीय निकाय की वितरण में अंतराल को भरने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के पास दूरस्थ जल स्त्रोतों तक अनेक समुदायों को जोड़ने के लिए सार्वजनिक ग्रिड की आवश्यकता हो सकती है। सीवरेज में, कुछ राज्य/शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रणालियों के योग का चयन कर सकते हैं। इनके अलावा, सीवरेज तंत्र प्रणालियों की लागत पर विचार कर, कुछ शहरी स्थानीय निकाय कुशल सेप्टेज प्रबंधन प्रणालियों का चयन कर सकते हैं। इसलिए, सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं होगा तथा कम संसाधनों के साथ अधिक करने के लिए विकल्पों का सृजन किया जाए और इसे इस प्रकार किया जाए कि यह लाभ लोगों तक नल और शौचालय के रूप में पहुंचे।

¹ शहरी जल तथा स्वच्छता क्षेत्र (2012), स्थिति रिपोर्ट (2010–11), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सेवा स्तर देखें।

- 6.5 लागत का अनुमान :** प्रत्येक परियोजना की लागत (पूंजीगत तथा प्रचालन और अनुरक्षण दोनों) ऑन—लाइन (या सार) अनुमानों के आधार पर तैयार की जाएगी। प्रत्येक यूएलबी (तालिका 2.1, अनुलग्नक 2 देखें) तथा संपूर्ण राज्य (तालिका 3.1, अनुलग्नक 2 देखें) के लिए महत्वपूर्ण परिणाम जलापूर्ति तथा सीवरेज (मास्टर प्लान) हेतु सर्वांग व्याप्ति हासिल करने के लिए निधियों की कुल आवभयकता होगी। जेएनएनयूआरएम में निर्धारित सभी प्रासंगिक तथा उपर्युक्त तकनीकी तथा वित्तीय मानक अमृत मिशन में लागू होंगे; कोई भी आकस्मिकताएं अथवा लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी तथा किसी भी अपूर्ण अथवा पहले से चालू परियोजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- 6.6 प्राथमिकीकरण :** केन्द्र सरकार अधिकतम धनराशि उपर्युक्त पैरा 5 में दी गई परियोजना वित्तपोषण के अनुसार देगी। यदि एक वर्ष के भीतर सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के संसाधन उपलब्ध हैं तब शहरी स्थानीय निकाय ऐसा प्रस्ताव करेगी। तथापि, यदि यूएलबी में सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और मिशन को अनेक वर्षों में कार्यान्वयन किया जाना है तो यूएलबी मिशन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवें वर्ष में शुरू किए जाने वाले क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करेगा। सार्वभौमिक कवरेज को सीवरेज के बाद जलापूर्ति के साथ शुरू किया जाएगा। निधियों की उपलब्धता के आधार पर जलापूर्ति तथा सीवरेज की सार्वभौमिक कवरेज साथ—साथ भी की जा सकती है। सार्वभौमिक व्याप्ति के प्राप्त हो जाने के पश्चात राज्य/यूएलबी अगली प्राथमिकता का निर्णय करेंगे—शहरी स्थानीय निकाय वर्षा जल निकासी के निर्माण अथवा शहरी परिवहन के निधियों का निर्णय कर सकता है जो इस पर निर्भर करेगा कि स्थानीय प्राथमिकता क्रमिक बाढ़ को कम करना है अथवा वाहन—जनित प्रदूषण को घटाना है। कुल मिलाकर, जल और सीवरेज की सार्वभौमिक कवरेज एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है तथा राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम लक्ष्य है।
- 6.7 तथापि, उपर्युक्त पैरा 5 में दिए गए अनुसार वार्षिक आवंटन का 2.5 प्रतिशत तक बच्चों के अनुकूल विशेषताओं वाले उद्यानों के विकास में प्रयोग किया जाए जिसमें साथ ही साथ स्थानीय इच्छुक हितधारकों को निधियों तथा पदाधिकारियों के साथ उद्यान अनुरक्षण सौंपने का दिशा—निर्देश तैयार करना हो। अमृत में यह भी एक सुधार है।**
- 6.8 लीक से हटकर सोच :** यूएलबी द्वारा एसएलआईपी तैयार करने के दौरान पूर्व के निर्णयों में बदलाव किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप भारी पूंजी तथा विद्युत उपयोग लागत लगाकर लंबी दूरी से पानी को पंप करने के स्थान पर, राज्य/शहरी स्थानीय निकाय विकल्पों, जैसे कि—जल पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग की जांच की जानी चाहिए। मानदंड यह है कि शहरी स्थानीय निकायों में जनित अपशिष्ट : जल का कम से कम 20% पुनः उपयोग की जाए तथा अपेय जल के प्रयोग हेतु जल पुनर्चक्रण के मानक पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं। अधिक कुशल जल प्रणाली का अन्य माध्यम बेहिसाब जल (गैर—राजस्व जल) को 20% से कम तक कम करना है जो राज्यों/यूएलबी द्वारा किए जाने वाले सुधारों का एक अंग है तथा अमृत में इसे सहायता प्राप्त है।
- 6.9 तकनीकी अनुमानों के डिजाइन व तैयारी के दौरान, निम्न लागत विकल्पों (किफायती अभियांत्रिकी) को प्राथमिकता दी जाएगी तथा स्मार्ट समाधानों का प्रयोग लागतों को घटाने तथा सेवा को बेहतर बनाने के लिए किया जाय। प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी—डैक) द्वारा विकसित स्मार्ट समाधानों की सूची अनुलग्नक—3 में दिए गए हैं।**
- 6.10 शर्तें :** भूमि की अनुपलब्धता अथवा विलंब से उपलब्धता पूर्ववर्ती मिशन में परियोजनाओं के विलंब के प्रमुख कारकों में से एक थे। एक अन्यन संबंद्ध मामला अन्य विभागों से स्वीकृति प्राप्त करना रहा है। इसलिए,

अमृत परियोजना में उन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जाए जिनमें भूमि उपलब्ध न हो तथा कोई भी परियोजना कार्य आदेश जारी नहीं किए जाए यदि सभी विभागों से सभी स्वीकृतियां उक्त तिथि तक प्राप्त नहीं कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/शहरी स्थानीय निकाय भूमि खरीद की लागत को वहन करेंगे। अंततः, अमृत निधि का प्रयोग जेएनएनयूआरएम के कुछ घटकों को पूर्ण करने हेतु न किया जाए जिन्हें प्रस्तुत किए गए परियोजना रिपोर्ट में अपूर्ण के रूप में दिखाया गया था तथा जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय ने अनुमोदन प्रदान किया था। उदाहरण स्वरूप यदि जेएनएनयूआरएम अनुदानों का प्रयोग करते हुए मुख्य लाइनें बिछाई गई हैं वो नलों की व्यवस्था करना इस परियोजना का भी एक भाग थी परन्तु शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है तब ऐसे रह गए भाग अमृत में वित्तपोषण के पात्र नहीं हैं।

- 6.11 **लचीलापन :** आपदाओं के विरुद्ध लचीलेपन को समाविष्ट करना तथा परियोजनाओं को सुरक्षित करना इसके एसएलआईपी को तैयार करने के चरण, विशेषतः उपेक्षित तथा गरीबों के लिए, और परियोजना विकास चरण में किया जाएगा जिनमें आपदा—रोधी अभियांत्रिकी तथा संरचनात्मक मानकों को डिजाइन में शामिल किया जाएगा। इसे राज्यों/यूएलबी एसएएपी तैयार करते समय पुनः सुनिश्चित करेंगे।
- 6.12 **वित्त—पोषण :** प्रचालन और अनुरक्षण लागत सहित परियोजनाओं का वित्तपोषण एसएलआईपी का एक प्रमुख पहलू है। प्रत्येक विकल्प के लिए पूंजी लागत तथा प्रचालन और अनुरक्षण लागत का अनुमान लगाया जाए। वित्त के अन्य स्रोतों की भी पहचान की जाए। यूएलबी स्तर पर आंतरिक स्रोतों (अर्थात् करों, शुल्कों, अन्य), बाह्य स्रोतों (अर्थात् राज्यों से अंतरण, केन्द्र/राज्य सरकारों से परियोजना धनराशि अन्य) तथा ऋण, बांडों तथा अन्य की संभावनाओं का भी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त लागत का भार वहन करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना एक चुनौती है। एक रास्ता एक रिहायशी क्षेत्र के लिए परियोजना निधियन हेतु ऋण लेना है तथा संपत्ति कर में वृद्धि करके ऋण का भुगतान करना है अर्थात् केवल उसी रिहायशी क्षेत्र में 10 वर्ष में इसे कर संवर्द्धन वित्तपोषण (टीआईएफ) कहा जाता है।
- 6.13 अमृत के साथ अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार कार्यक्रमों/स्कीमों के साथ मिलाकर निधियों का समांजस्य स्थापित करना वित्तपोषण का एक और स्रोत भी है। एसएलआईपी को स्वयं के तैयार करने के चरण पर शहरों को, नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई), डिजिटल भारत, कौशल विकास, नमामी गंगे, सब के लिए आवास आदि के साथ सम्मेलन करना चाहिए।
- 6.14 **सुधार :** सुधारों का कार्यान्वयन एसएलआईपी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यूएलबी को सुधारों का एक खाका तैयार करना होगा जिसे राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समेकित करके एसएपी के एक भाग के रूप में शामिल किया जायेगा। कुछ सुधारों में अन्य सुधारों की अपेक्षा अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रयोक्ता प्रभारों, सम्पत्ति कर, शुल्क इत्यादि का मूल्यांकन और संग्रहण ऐसे कार्यकलापों के उदाहरण हैं जिनके लिए अतिरिक्त निधियों की बहुत कम मामलों में आवश्यकता होती है। यदि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए निधियों की जरूरत पड़ती है तो उनका निर्धारण (i) अमृत के अनुमत संघटकों, (ii) राज्य ए एण्ड ओई निधियां, अथवा (iii) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम से किया जा सकता है। ये सभी एसएएपी का एक भाग होने चाहिए, लेकिन, एसएलआईपी और एसएएपी तैयार करते समय दोहराव और अत्यधिकता से बचना चाहिए (अनुलग्नक 2 और 7)।

7. राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)

- 7.1 एसएएपी के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक यूएलबी द्वारा तैयार की गई एसएलआईपी होगी। राज्य स्तर पर, सभी मिशन शहरों के एसएलआईपी को एसएएपी में एकीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए बुनियादी तौर पर एसएएपी राज्य स्तरीय सुधार योजना है जो परिवारों को जलापूर्ति और सीवरेज कनैक्शनों में वर्ष-वार सुधार को दर्शायेगा।
- 7.2 **प्राथमिकीकरण के सिद्धांत :** राज्य अन्तर विश्लेषण, और यूएलबी की वित्तीय स्थिति के आधार पर अन्तर्पर-यूएलबी आबंटन के बारे में भी निर्णय करेंगे और पहले वर्ष में उन यूएलबी का चयन करेंगे जहां जलापूर्ति और सीवरेज के प्रावधानों में काफी अन्तर होगा। वित्तपोषण के लिए यूएलबी की प्राथमिकता का निर्धारण स्थानीय संसद सदस्यों, महापौरों और संबंधित यूएलबी के आयुक्तों से परामर्श करने के बाद किया जायेगा। वित्तीय रूप से कमज़ोर यूएलबी का काफी हद तक वित्तपोषण किया जा सकता है। शहरी गरीबों के अधिक अनुपात वाले शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अंश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, संभावित स्मार्ट सिटीज़ को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत एक-दूसरे के अनुपूरक हैं। राज्यों द्वारा प्राथमिकीकरण और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, राज्य एसएएपी को 2015–16 के दौरान राज्य को आबंटित केन्द्रीय सहायता (सीए) का तीन गुणा (क्योंकि परियोजना को पूरा होने में तीन वर्ष लगने की संभावना है और वित्तपोषण भी तीन किस्तों में किया जाना है) और पिछले वर्ष की बकाया सीए तथा बाद के वर्षों में वर्ष का वार्षिक आबंटन जारी करेंगे। परिणामस्वरूप, राज्य के भीतर विभिन्न यूएलबी भिन्न-भिन्न वित्त पोषण प्रतिमान के पात्र होंगे, परन्तु केन्द्र का हिस्सा नियत रहेगा जैसाकि इन दिशानिर्देशों में दिया गया है।
- 7.3 **प्रचालन और अनुरक्षण का महत्व:** पिछले कार्यक्रमों के अनुभवों ने दर्शाया है कि, एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर, यूएलबी सृजित अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण करने की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसलिए एसएएपी में शहरी विकास मंत्रालय के लिए प्रस्तावित की जा रही परियोजनाओं में कम से कम पांच वर्षों तक ओ एण्ड एम का वित्त पोषण शामिल है और इसे प्रयोक्ता प्रभारों अथवा अन्य राजस्व साधनों की उगाही से पूरा किया जायेगा। लेकिन, परियोजना लागत के परिकलन के लिए प्रयोजन हेतु, ओ एण्ड एम लागत को शामिल नहीं किया जायेगा। राज्य/यूएलबी उपयुक्त लागत वसूली तंत्र के माध्यम से ओ एण्ड एम का वित्तपोषण करेंगे ताकि उन्हें आत्म-निर्भर और किफायती बनाया जा सके।
- 7.4 **परियोजनाओं का वित्तपोषण :** वित्तपोषण एसएएपी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पैरा 5 में दी गई तालिका दर्शाती है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम अंश दिया जायेगा। राज्यों/यूएलबी को एसएएपी की तैयारी के समय शेष संसाधनों का सृजन करना पड़ेगा। नगरों का वित्तीय अंश राज्य भर में अलग-अलग होगा। कुछ राज्यों में, यूएलबी अन्य राज्यों के यूएलबी की तुलना में परियोजना लागत में महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में होते हैं। तदनुसार, राज्यों को एसएएपी बनाते समय यह निर्णय लेना होगा कि शेष वित्तपोषण (केन्द्र सरकार के अंश के अतिरिक्त) राज्य, यूएलबी और स्टेट/यूएलबी द्वारा पता लगाये गए अन्य स्रोतों (अर्थात पीपीपी, बाजार ऋण) में कैसे बांटा जायेगा। लेकिन, एसएएपी में राज्य का योगदान कुल परियोजना लागत का 20% से कम नहीं होगा।
- 7.5 महत्वपूर्ण है कि, राज्य स्तर पर एसएएपी में केवल वही परियोजनाएं शामिल की जायेंगी जहां सम्पूर्ण परियोजना लागत पूर्णतः राजस्व स्रोतों से संबद्ध होगी। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य क्षेत्रों और वित्तीय कार्यक्रमों का जोड़ा जाना भी शामिल होगा। वित्तीय मध्यस्थ सृजित करना एक लाभदायक तरीका, और अमृत में सुधार भी है, जिससे सभी स्रोतों से निधियों को जुटाया जा सके और यूएलबी को

समय पर निधियां जारी की जा सकें। ऐसा मध्यस्थ, वित्त के बाहरी स्रोतों, जैसे ऋण और बांड, पर पहुँच बनाने में भी सक्षम हो, क्योंकि छोटे और वित्तीय रूप से कमजोर यूएलबी वहां पहुँचने में असमर्थ होते हैं। म्यूनिसिपल-बाण्डों के लिए सेबी द्वारा विनियमों के प्रख्यापित करने से संभावित स्रोतों का ऐसे मध्यस्थ द्वारा पूर्णतः साकार किया जा सकता है। एसएएपी के विकास की प्रक्रिया के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए, कि क्या यह अधिमानतः निष्पादन मॉडल होना चाहिए। पीपीपी को सुदृढ़ नागरिक फीडबैक के साथ उपयुक्त सेवा स्तरीय करारों (एसएलए) को इसमें शामिल करनी चाहिए। यह जन-सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपीपी) मॉडल की अगुवाई करेगा।

7.6 एसएएपी का अनुमोदन: एसएएपी का अनुमोदन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष में एक बार शीर्ष समिति द्वारा दिये गए कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। शीर्ष समिति एसएएपी को संशोधित कर सकती है और शर्तों के साथ अनुमोदित या अन्तरों को पाठने के लिए लौटा भी सकती है। **अमृत राज्यों के माध्यम से यूएलबी को परियोजना राशि उपलब्ध करायेगा।** शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एसएएपी के मूल्यांकन की कुछेक मानदण्ड निम्नवत् हैं :—

- (i) राज्य सरकार ने सेवा स्तरीय अंतरालों का किस निपुणता से पता लगाया है ?
- (ii) राज्य ने पूँजीगत व्यवय का किस निपुणता से नियोजन और वित्तापोषण किया है ?
- (iii) राज्य कितनी भली-भांति जलापूर्ति और सीवरेज/सैप्टेज के सार्वभौम कवरेज की उपलब्धि और तत्पश्चात इन दोनों क्षेत्रों और शहरी परिवहन तथा वर्षा जल निकास निर्माण के अन्य मानकों की ओर बढ़ा है ?
- (iv) केन्द्र सरकार से वित्तीय समर्थन का प्रत्याशित स्तर क्या है और राज्य/यूएलबी ने कितनी अच्छी तरह से वित्तापोषण के अन्य स्रोतों का पता लगाकर उन तक पहुँच बनायी है ?
- (v) यूएलबी की जरूरतों की कैसे निष्पक्षता और समानता से विधिवत विचार किया गया है ?
- (vi) क्या नागरिकों, स्थानीय संसद सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श किया गया है ?

8. कार्य निष्पादन

8.1 परियोजनाओं का निष्पादन यूएलबी द्वारा किया जायेगा। यूएलबी के पास परियोजना के कार्यान्वयन की पर्याप्त क्षमता न होने की सूरत में यूएलबी द्वारा एक संकल्प पारित करने पर राज्य सरकार एसएएपी में यह सिफारिश कर सकती है कि परियोजना का निष्पादन राज्य अथवा केन्द्र सरकार की विशिष्ट पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार, विशिष्ट पैरास्टेटल एजेंसी और संबंधित नगरपालिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता करार (एमओयू) के माध्यम से निष्पादित की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, यूएलबी की क्षमता को अमृत के क्षमता निर्माण संघटक द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी यूएलबी और राज्य सरकार की होगी।

8.2 शहरी विकास मंत्रालय, परियोजना-दर-परियोजना अनुमोदन अथवा परियोजना डीपीआर को तकनीकी मंजूरी नहीं देगा, इन कार्यकलापों के लिए राज्य/संघशासित प्रदेश ही उत्तरदायी होंगे। शहरी विकास मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी परिवहन आदि पर व्यापक मैनुअल तैयार किया है, और दिशानिर्देश तथा परामर्शिकाएं जारी की हैं। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) इन तकनीकी

दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। नीचे दिया गया अनुक्रम चार्ट अमृत की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया का ब्लौरा देता है।

शीर्ष समिति राज्यों को वार्षिक बजट आबंटित करती है।



एसएचपीएससी शहर में सभी को जलाधारी और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने हेतु शहर स्तरीय सेवा स्तर सुधार योजनाएं (एसएलआईपी) तैयार करवायेगी।



एसएलआईपी को राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) बनाने के लिए एकत्र किया गया है।



शीर्ष समिति एसएएपी का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है।



निष्पादन शुरू होता है।



शहरी स्थानीय निकाय एसएचपीएससी द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं के लिए डीपीआर को अनुमोदित करवाते हैं, जिनका एसएलटीसी द्वारा तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जाता है।



विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विस्तृत तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात कार्यान्वयन शुरू होता है।

8.3 परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन के लिए पता लगाए गए कुछेक घटक परियोजना के डिजाइन, निविदा की प्रक्रिया, विलंब के कारण, लागत में वृद्धि और निविदा मंगाने तथा उनको तय करने तथा अनुमोदित लागत में भिन्नता और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में दर्शाई गई लागत से संबंधित है। इन कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को एक दृष्टिकोण का अनुपालन करना चाहिए जिसमें विदेशी संस्थाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों/राज्यों को परियोजना डिजाइन, विकास कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए आद्योपान्त सहायता प्रदान की जाती है। विशिष्ट तौर से यह सहायता एसएलआईपी, एसएएपी, डीपीआर इत्यादि को तैयार करने के लिए दी जाएगी। विदेशी संस्थाओं को परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (पीडीएमसी) कहा जाएगा। विदेशी संस्थाओं द्वारा आद्योपान्त सहायता प्रदान करने के लिए कार्य के एक माडल क्षेत्र का ब्यौरा अनुलग्नक 8 में दिया गया है और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीडीएमसी क्रय करने के लिए समर्थ बनाएगा। इस मिशन टूलकिट में प्रस्तावों के लिए माडल अनुरोध (आरएफपी) भी उपलब्ध हैं।

9. निधियां जारी करना

9.1 निधियों को 20:40:40 की तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। इन निधियों को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा जैसा कि पहले के मिशन में किया गया था। अमृत की घोषणा के तत्काल पश्चात, प्रत्येक मिशन शहर को एसएलआईपी/व्यक्तिगत क्षमता निर्माण तैयार करने के लिए 25 लाख रुपए का अग्रिम दिया जाएगा जो प्रशासनिक और कार्यालय व्यय की निधियों के शहरी स्थानीय निकाय के हिस्से से आएगा और उसको पहली किस्त को जारी करने के समय पर इसके हिस्से में समायोजित किया जाएगा।

9.2 शीर्ष समिति द्वारा एसएएपी के अनुमोदन के तत्काल पश्चात पहली किस्त जारी की जाएगी। दूसरी और तीसरी किस्त (i) प्राप्तांक कार्ड (ii) उपयोग प्रमाण—पत्र और (iii) परियोजना की निधियों हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर जारी की जाएंगी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य मिशन निदेशकों को अनुलग्नक 6.1 और 7.3 (क्षमता निर्माण प्रगति) में दिए गए अनुरोध प्रपत्र भेजे जाएंगे। क्रय में राज्य मिशन निदेशक इनके अनुरोधों को समेकित करेंगे और अनुलग्नक 6.2 और 7.4 (क्षमता निर्माण प्रगति) में दिए गए प्रपत्रों में उनकी रिपोर्ट भेजेंगे और वे शहरी विकास मंत्रालय को अनुलग्नक 4 और 5 में दिए गए क्रमशः प्राप्तांक और उपयोग प्रमाण—पत्र भी भेजेंगे।

9.3 इन दस्तावेजों को (i) केन्द्र और राज्य द्वारा पैरा 5 में दिए गए निधिकरण पैटर्न के अनुसार पहले से जारी की गई 75% धन राशि का उपयोग, (ii) राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/निजी क्षेत्र के अंशों के उपयोग और (iii) एसएएपी में अन्तर्विष्ट रोड मैप में यथा आश्वस्त और स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) की रिपोर्ट में प्रमाणित सेवा स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने के विवरण को दर्शाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सहायता की दूसरी और तीसरी किस्तें जारी करना निम्नलिखित के अधीन होगा: (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएएपी में दिए गए आश्वस्त संसाधनों के अनुसार उन को जुटाना, और (ख) एसएचपीएससी और शीर्ष सीमिति द्वारा लगाई गई कोई अन्य शर्त। इस तथ्य को मानते हुए कि सभी अनुमोदित परियोजनाएं समान गति से नहीं चल रही हैं, राज्य असाधारण परिस्थितियों में, जब भी 75% उपयोग और अन्य शर्तें पूरी कर ली जाएं, यूएलबी/परियोजनाओं के एक सेट हेतु दूसरी और तीसरी किस्तें जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं (पृष्ठ 16 पर फ्लो चार्ट देखें)।

9.4 शीर्ष समिति प्रत्येक वर्ष की तीसरी तिमाही के अन्त में राज्यों द्वारा आबंटनों के उपयोग की समीक्षा करेगी और गैर—कार्यनिष्ठादन से कार्य निष्ठादन करने वाले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को उनके कार्य निष्ठादन और निधियों का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर निधियों को पुनः आबंटित करेगी। अनुमानित लागत के आधार पर जारी पहली किस्त की 20% से अधिक अथवा कम राशि की केन्द्रीय सहायता की दूसरी

किस्त को जारी करते समय समायोजित किया जाएगा जो अनुमोदित लागत पर आधारित होगी। अनुमोदित लागत परियोजना की मूल्यांकित लागत अथवा निविदा में प्रस्तुत की गई लागत (जो भी कम हो) है और उस को एसएचपीएससी द्वारा ध्यान में रखा जाना होगा। मिशन परियोजनाओं के प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय अनुदानों को व्यय करने के लिए उस धनराशि पर दांडिक ब्याज लगाया जाएगा और शीर्ष समिति द्वारा कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी तथा अनुदान जारी करने पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल हो सकता है।

- 9.5 पहले के कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभवों ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों द्वारा परियोजना निधियों को समय पर जारी करना परियोजना को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः राज्यों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय अंश को जारी करने के सात कार्य दिवसों के भीतर शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के अंश सहित केन्द्रीय सहायता निधियों को जारी करना चाहिए अन्यथा वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य पर सात दिनों से आगे की किसी देरी के लिए विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज लगाया जाएगा और भावी किस्तों से समुचित कटौतियां की जाएंगी।
- 9.6 नीचे का अनुक्रमक चार्ट धन को जारी करने के कदमों का ब्यौरा देता है :

शीर्ष समिति द्वारा एसएएपी के अनुमोदन पर केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त (**20%**) जारी की जाती है।

राज्य अप्रैल, अगस्त, नवम्बर और फरवरी के दौरान सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता की दूसरी अथवा तीसरी किस्त को जारी करने के अपने दावे प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने किस्त जारी करने की अमृत की शर्त पूरी कर ली है और अनुलग्नक 4.5 और 6 में दिए गए दस्तावेज भेजेंगे।

उपयोग प्रमाण—पत्रों, परियोजना निधियों के लिए अनुरोध (अनुलग्नक 6.2 में केवल सार रिपोर्ट) और परिणाम सूचकों पर प्रगति को दर्शाने वाले अंक कार्ड को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रत्येक के लिए अनुमोदित लागत हेतु 40 % दूसरी और तीसरी किस्तों को जारी किया जाता है।

10. कार्यक्रम प्रबंधन संरचना

10.1 राष्ट्रीय स्तर

सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में और संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शीर्ष समिति इस मिशन का पर्यवेक्षण करेगी। शीर्ष समिति की संरचना इस प्रकार होगी :—

- i. सचिव (शहरी विकास मंत्रालय) अध्यक्ष
- ii. सचिव (व्यय विभाग) सदस्य

iii.	सचिव (आर्थिक कार्य विभाग)	सदस्य
iv.	प्रधान सलाहकार (एचयूडी)नीति आयोग	सदस्य
v.	सचिव (पेय जल एवं स्वच्छता)	सदस्य
vi.	सचिव (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	सदस्य
vii.	सचिव (पर्यावरण एवं वन)	सदस्य
viii.	संयुक्त सचिव एवं एफए, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
ix.	ओएसडी (यूटी), शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
x.	सलाहकार (सीपीएचईओ)	सदस्य
xi.	टीसीपीओ	सदस्य
xii.	निदेशक, एनआईयूए	सदस्य
xiii.	मिशन निदेशक (शहरी विकास मंत्रालय)	सदस्य सचिव

शीर्ष समिति किसी भी सरकारी विभाग या संगठन के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है या विचार विमर्श में किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है। शीर्ष समिति के कार्य इस प्रकार हैं: –

- i. राज्यों के क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए वार्षिक व्यापक कार्वाई योजना सहित एसएएपी उच्चाधिकार प्राप्त राज्य संचालन समिति द्वारा प्रस्तुत एसएएपी और एसएएपी में सुधार खाके का अनुमोदन।
- ii. राज्य/संघ शासित प्रदेशों/मिशन निदेशालय को निधियों का आबंटन और उनको जारी करना।
- iii. मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण
- iv. संसाधन जुटाने, निजी वित्त-पोषण और भूमि लीवरेजिंग के लिए नए साधनों के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह देना।
- v. तृतीय पक्ष निगरानी (आईआरएमए) के लिए संगठनों, संस्थानों अथवा एजेंसियों की नियुक्ति की पुष्टि करना।
- vi. मिशन का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष समिति मिशन निदेशक को एक निर्धारित सीमा के भीतर, कुछेक कार्यों को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।
- vii. परियोजना की वास्तविक प्रगति का सीमांकन करना जिसके आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जायेंगी।

शीर्ष समिति आवश्यकतानुसार किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करेगी। एक राष्ट्रीय मिशन निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के स्तर का होगा, जो मिशन संबंधी गतिविधियों के लिए सर्व-कार्य प्रभारी होगा। आवश्यकता पड़ने पर मिशन निदेशक विषय से संबंधित विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों से सहायता लेगा। राष्ट्रीय मिशन निदेशक शीर्ष समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

10.2 राज्य स्तर

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति, (एसएचपीएससी) अपनी सम्पूर्ण हैसियत में इस मिशन के कार्यक्रम का संचालन करेगी। एसएचपीएससी की निर्देशात्मक संरचना इस प्रकार है : —

i.	मुख्य—सचिव	अध्यक्ष
ii.	प्रधान सचिव (पीएचई)	सदस्य
iii.	प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य
iv.	प्रधान सचिव (आवास)	सदस्य
v.	प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)	सदस्य
vi.	शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	मिशन निदेशक (यदि नीचे viii से भिन्न हो, तो)	सदस्य
viii.	प्रधान सचिव (शहरी विकास)	सदस्य सचिव

एसएचपीएससी अन्य राज्य सरकार के विभागों/सरकारी संगठनों से सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकती है और इसके विचार—विमर्श में भाग लेने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है। एक राज्य मिशन निदेशक होगा जो राज्य सरकार के सचिव के स्तर का ही एक अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है और जो एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) और एक परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता (पीडीएमसी) के साथ कार्य करेगा। परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्श दाता की स्थापना के साथ अमृत पूर्वमिशन के अंतर्गत स्थापित कार्यक्रम प्रबंधन यूनिटों और परियोजना कार्यान्वयन यूनिटों को सहायता प्रदान नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि मिशन सहायता की इन संरचनाओं के कार्यों में कोई अतिव्यापन नहीं होगा। यदि किसी पीएमयू को पहले ही सीसीबीपी के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया हो तो किसी अन्य पीएमयू की मिशन की निधियों से सहायता नहीं की जाएगी। एसएचपीएससी के कार्य इस प्रकार हैं:-

- एसएलबी के आधार पर अवस्थापना में कमियों का पता लगाना, व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता, शहरी सुधार के लक्ष्य प्राप्त करने के उपाय, मिशन के शहरों/कस्बों के वित्तीय परिव्ययों इत्यादि को अन्तिम रूप देना।
- प्रत्येक वर्ष उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य के प्राथमिकता वाले शहरों और परियोजनाओं के शहरी स्थानीय निकायों की एसएलआईपी के आधार पर एसएएपी तैयार करना जैसा कि मिशन के विवरण और दिशा निर्देशों में निर्धारित किया गया है।
- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा तकनीकी रूप से आकलित और संस्थीकृत करने के पश्चात परियोजनाओं को अनुमोदित करना। सभी परियोजना अनुमोदन, राज्य एचपीएससी द्वारा प्रदान किए जाएंगे बशर्ते कि ये परियोजनाएं अनुमोदित एसएएपी में शामिल हों। शहरी विकास मंत्रालय को

किसी भी परियोजना को संस्थीकृति हेतु नहीं भेजा जाएगा। सम्पूर्ण परियोजना अनुमोदन, अधिप्रापण और निष्पादन प्रक्रिया में राज्य एचपीएससी यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य वित्तीय नियमावली के सभी प्रावधानों का अनुपालन हो।

- iv. लघु, मध्यम और दीर्घावधि में निधि प्रवाह की योजना बनाना। परियोजनाओं के निधीकरण के लिए संसाधन जुटाने, निजी वित्तपोषण और भूमि बढ़ाने हेतु नवीन तरीकों का पता लगाना।
- v. इन दिशानिर्देशों के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट केन्द्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त परियोजनाओं हेतु राज्य और शहरी स्थानीय निकाय के अंश के हिस्से को तय करना।
- vi. खराब गुणवत्ता, पर्यवेक्षण की कमी और अन्य उल्लंघनों की शिकायतों की जांच—पड़ताल करना। तृतीय पक्ष आकलन कर्ताओं और अन्यों के द्वारा कार्य की गुणवत्ता मूल्यांकन की रिपोर्टों को मॉनीटर करना और अपने स्तर पर कार्रवाई करना।
- vii. राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को चल रही परियोजनाओं के लिए निधियों की किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव संस्तुत करना।
- viii. एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्था स्थापित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्रीय और राज्य के हिस्से की निधियों को समय पर आबंटित करना और उनको जारी करना।
- ix. शीर्ष समिति के अनुमोदनार्थ राज्य/शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और उपलब्धियों की सिफारिश करना। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर प्रतिबद्ध शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना।
- x. शहरी स्थानीय निकायों में परियोजना के कार्यान्वयन समेत इस मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करना।
- xi. इस मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम और ओएंडएम व्यवस्थाओं को मॉनीटर करना।
- xii. समय—समय पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करना।
- xiii. जारी की गई निधियों की समय पर लेखा परीक्षा आयोजित करना और पहले के मिशन तथा नए मिशन से संबंधित विभिन्न लेखा परीक्षा की रिपोर्टों तथा तीसरे पक्ष, परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाताओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुने गए प्रतिनिधियों की रिपोर्टों समेत अन्य रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टों की समीक्षा करना।
- xiv. इस मिशन के कार्यक्रम के बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन के लिए अन्तर—संगठन समन्वय और सहयोग स्थापित करना।
- xv. राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा उल्लिखित अथवा मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रकार का अन्य प्रासंगिक मामला।
- xvi. न्यायालयों में कानूनी मुद्दे/मामले, यदि कोई हो तो उनकी निगरानी करना

10.3 शहर स्तर

शहरी स्तर पर यूएलबी मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। म्यूनिसिपल आयुक्त एसएलआईपी को समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करेंगे (पैरा 6 एवं अनुलग्नक-2)। यूएलबी एसएलआईपी में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए डीपीआर तथा बोली से संबंधित दस्तावेज तैयार करेंगे। यूएलबी डीपीआर और बोली से संबंधित दस्तावेजों के सिटी लेवल अनुमोदन को सुनिश्चित करेंगे तथा इन्हें अनुमोदन के लिए एसएलटीसी/एचपीएससी को अग्रेषित करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय नियमों और विनियमों के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियां नियुक्त करेंगी तथा उन्हें कार्य सौंपने के बाद इसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए, यूएलबी पीडीएमसी से खण्ड 8 के आधार पर इन क्रियाकलापों को करने के लिए सहायता लेगा। यूएलबी क्रमशः अनुलग्नक-2 (तालिका 5.1) तथा 7 में दिये गये अनुसार सुधार का कार्यान्वयन और क्षमता के निर्माण के लिए एक रोड मैप भी विकसित करेंगे। यूएलबी परियोजना लागत में वृद्धि के बिना परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग बनाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

11. परियोजनाओं के लिए डीपीआर का मूल्यांकन

11.1 एसएचपीएससी एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) का गठन करेगा जिसमें संबंधित विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि होंगे जो डीपीआर का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करेगा। एसएलटीसी की संरचना नीचे दिये गये अनुसार है:

i	प्रधान सचिव (शहरी विकास)/सचिव (शहरी विकास)	अध्यक्ष
ii	जल—संसाधन/जल—विभाग	सदस्य
iii	राजस्व/भूमि विभाग	सदस्य
iv	नगर नियोजन विभाग	सदस्य
v	स्लम विकास बोर्ड	सदस्य
vi	विद्युत विभाग	सदस्य
vii	सीपीएचईओ, शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
viii	वित्त विभाग	सदस्य
ix	मिशन निदेशक (यदि अध्यक्ष/सदस्य—सचिव नहीं हैं)	सदस्य
x	तकनीकी प्रमुख (अर्थात् मुख्य अभियंता) शहरी—जल बोर्ड/परिवहन परियोजनाओं—सड़क परिवहन निगम के लिए प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक	सदस्य—सचिव

11.2 एसएचपीएससी यदि आवश्यक समझा जायें तो अन्य संबंधित राज्य सरकार के विभागों/सरकारी संगठनों से एसएलटीसी में और अधिक सदस्यों को नामित कर सकता है। एसएलटीसी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- i. तकनीकी मानदंडों जैसे इस परियोजना के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और अंतिम कार्य, आंतरिक बैंचमार्क (आईबीएम) निर्णायक मूलभूत मानदंडों/बोली संबंधी दस्तावेजों/मूल्यांकन मानदंड, और भुगतान कार्यक्रम का अनुमोदन करना। इस उद्देश्य से एसएलटीसी संबंधित क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं, दिशा निर्देशों और सलाहों पर विचार करेगा और डीपीआर² में उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा (पैरा 9 भी देखें)²।
- ii. लचीलेपन को शामिल करना और आपदाओं से परियोजनाओं को सुरक्षित रखना तथा यह सुनिश्चित करना की डिजाइन में आपदा सुरक्षा इंजिनियरिंग और संरचनात्मक मानदंड शामिल हों।
- iii. तकनीकी स्वीकृति देते समय, एसएलटीसी यह सुनिश्चित करेगा कि आकस्मिक निधि अथवा लागत में वृद्धि अनुमान में शामिल न हों और जेएनएनयूआरएम के सभी तकनीकी और वित्तीय मानदंडों का अनुमान तैयार करने, परियोजना की तकनीकी स्वीकृति, निविदा स्वीकार करने, विरतार आदि का पालन किया जायें।
- iv. तकनीकी स्वीकृति देते समय एसएलटीसी रिटर्न की आन्तरिक दर (आईआरआर)–दोनों एफआईआरआर और ईआईआरआर एवं पूँजीगत व्यय की आवर्ती लागत (आरसीसीई) की भी जांच करेगा।
- v. निविदाओं की स्वीकृति देना।
- vi. आईआरएमए की रिपोर्टों और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्टों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- vii. अनुलग्नक 6.1 में दी गई परियोजना निधि अनुरोध रिपोर्ट का विश्लेषण करना और लागत में बिना किसी वृद्धि के परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- viii. पीडीएमसी नियुक्त करना।

²1. डीपीआर को प्रस्तुत करने और संवीक्षा के लिए जांच-सूची (सीवरेज एंड सीवरेज-ट्रीटमेंट) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च, 2012—<http://urbanindia.nic.in>

2. डीपीआर को प्रस्तुत करने और संविक्षा के लिए जांच-सूची (जल आपूर्ति) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, मार्च, 2012— <http://urbanindia.nic.in>

3. डीपीआर को प्रस्तुत करने और संविक्षा के लिए जांच-सूची (वर्षाजल निकासी)

12. शहरी सुधार

- 12.1 राज्यों/संघ शासित प्रेदशो के आवास एवं शहरी विकास मंत्रियों के साथ दिनांक 2 और 3 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शहरी शासन और 'सभी के लिए आवास' पर राष्ट्रीय घोषणा को अपनाया गया। सेवा प्रदायगी में सुधार, संसाधन जुटाना और नगर पालिका के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाना और अधिकारियों को और जवाबदेह बनाने संबंधी सुधार राष्ट्रीय घोषणा की भावना पर आधारित हैं।
- 12.2 विषेश रूप से मिशन 11 सुधारों को अधिदेषित करता है जिन्हे सभी राज्यों और 500 मिशन शहरों को चार वर्ष की अवधि के अन्दर कार्यान्वित करना होगा जैसा कि अनुलग्नक 2 (तालिका 5.1 से 5.4) में दिया गया है। राज्य को एसएएपी के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन का खाका प्रस्तुत करना होगा। जिसमें राज्य और यूएलबी दोनों स्तरों पर कार्यान्वित किये जाने वाले सुधार शामिल होंगे।
- 12.3 पहले मिशन के दौरान, सुधारों के पूरा न करने पर 10% एसीए रोक लिया जाता था। लेकिन, अमृत में राज्यों/यूएलबी के लिए प्रोत्साहन के रूप में 10% निधियां अलग से रखकर सुधार कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया गया है। प्रोत्साहन निधि वार्षिक आवंटित केन्द्रीय अंश के अतिरिक्त होगी। प्रोत्साहन यूएलबी द्वारा किये गए स्व—मूल्यांकन पर और आईआरएमए की रिपोर्ट पर एसएचपीसी द्वारा की गई पुष्टि पर आधारित होगा। स्व—मूल्यांकन एसएएपी का एक भाग होगा और इसकी विधि अनुलग्नक 2 (सारणी 5.5) में ही गई है।

13. क्षमता निर्माण

- 13.1 मिशन मोड में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और शहरी सुधार को प्राप्त करने के लिए यूएलबी हेतु राज्यों द्वारा व्यापक क्षमता निर्माण कार्यकलाप आयोजित किये जाएंगे। वे एसएएपी के भाग के रूप में वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे जैसा अनुलग्नक 7.2 (प्रपत्र 7.2.1—7.2.4) में दिया गया है। मिशन निदेशक द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के नये मिशनों की प्राथमिकताओं के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीसीबीपी) पुनः शुरू किया जाएगा। इस योजना के दो संघटक होंगे – व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता निर्माण।
- 13.2 **व्यक्तिगत क्षमता निर्माण:** मुख्य विशेषताएं मांग आधारित आवधिक प्रशिक्षण, व्यवसायों और पदाधिकारियों की पहचान, प्रशिक्षण परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन तथा निगरानी और पीयर नेटवर्किंग हैं। व्यक्तिगत क्षमता निर्माण में निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलाप शामिल होंगे:
- प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) पर आधारित कार्यनीतिक प्रशिक्षण।
 - प्रदर्शित दौरे।
 - कार्यशालाएं, सेमिनार, अनुसंधान अध्ययन और प्रलेखीकरण।
 - कोचिंग पर आधारित व्यक्तिगत क्षमता निर्माण और पीयरों तथा परामर्शदाताओं (मेंटर) से कार्य—संबद्ध सहायता।
 - आईईसी सामग्री तैयार करने सहित स्पष्टता।

13.3 संस्थागत क्षमता निर्माण : परामर्शदाता फर्मों और अन्य संस्थाओं की सहायता लेते हुए यूएलबी के संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना होगा।

14. परियोजनाओं की निगरानी

14.1 राज्य और यूएलबी स्तर पर मिशन की वास्तविक निगरानी की जायेगी। इसके अतिरिक्त, सूचना और डाटा को पब्लिक डोमेन में नागरिकों के साथ साझा किया जायेगा तथा तृतीय पक्ष निगरानी तथा समीक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। आईआरएमए द्वारा तिमाही आधार पर बाह्य निगरानी की जायेगी। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) तिमाही रिपोर्ट यूएलबी/पैरास्टैटल तथा एसएलटीसी को प्रस्तुत करेगा। यूएलबी और एसएलटीसी की टिप्पणियों को एसएचपीएससी द्वारा जांच की जायेगी। राज्य मिशन निदेशक अमृत में निधियों का दावा करते समय आईआरएमए की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, आईआरएमए सुधार कार्यान्वयन का छमाही मूल्यांकन करेगा। निश्चित ही निगरानी में निम्नलिखित तत्व शामिल रहेंगे:-

- i. शीर्ष समिति द्वारा सभी परियोजनाओं की आवधिक निगरानी और समीक्षा की जायेगी। यह विभिन्न बाह्य और पैनलबद्ध एजेंसियों, आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ—साथ सी एण्ड एजी और राज्य एजी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाओं के अधीन होगी।
- ii. शहरी विकास मंत्रालय, राज्यों और यूएलबी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का प्रयोग करते हुए आवधिक लक्ष्यों और अन्य मुख्य संकेतकों का पता लगाया जाएगा तथा निधियां जारी करने को एसएएपी में दिये गए मुख्य निष्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि के साथ जोड़ा जाएगा। नेट आधारित ऑन लाइन वास्तविक निगरानी, निर्माणस्थल के साइबर दौरे की सहायता से, अधिमानतः मोबाइल के कैमरों का प्रयोग करके की जायेगी तथा तृतीय पक्ष समीक्षा और वास्तविक मूल्यांकन भी किया जायेगा।
- iii. राज्य स्तर पर, राज्य एचपीएससी प्रस्ताव स्तर पर परियोजनाओं की विस्तृत संवीक्षा और निष्पादन के दौरान निगरानी करेगा।
- iv. राज्य एचपीएससी अनुलग्नक 4 में दिया गया तिमाही स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेगा।
- v. मिशन, शहरी बुनियादी सेवाओं में एसएलबी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय निष्पादन निगरानी कक्ष की सहायता करेगा।
- vi. यूएलबी अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और यूएलबी निकायों तथा मोबाइल और ई—ग्रुपों का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष नागरिक फीडबैक के माध्यम से परियोजनाओं की निकट से निगरानी करेगा। वैबसाइट के माध्यम से लोक प्रकटीकरण का एक ठोस संघटक भी निर्मित किया जायेगा।
- vii. परियोजनाओं के लिए और सुधारों के लिए आईआरएमए द्वारा तृतीय पक्ष समीक्षा की जायेगी। इस एजेंसी का चयन विशेषज्ञ/तकनीकी एजेंसियों में से किया जाएगा।

15. जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी)

15.1 जिला स्तरीय समीक्षा और निगरानी समिति (डीएलआरएमसी) का गठन किया जायेगा तथा संसद सदस्य जिला कलैक्टर के साथ सह—अध्यक्ष होंगे। डीएलआरएमसी अमृत परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेंगी।

16. लेखापरीक्षा और मुकदमे संबंधी मामले

16.1 राज्य मिशन निदेशालय सी एण्ड एजी लेखापरीक्षा और न्यायालयों/अधिकरणों और मध्यस्थों के समक्ष मामलों सहित मुकदमेबाजी के सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय मिशन निदेशालय/शहरी विकास मंत्रालय की ओर से केन्द्र सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य मिशन निदेशालय उत्तरदायी होगा।

17. जेएनएनयूआरएम की अपूर्ण परियोजनाएं

17.1 अमृत के अन्तर्गत कवर की जाने वाली जेएनएनयूआरएम की अपूर्ण परियोजनाओं की कवरेज के बारे में विस्तृत अनुदेश शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

अनुलग्नक

और

तालिकाएं

अनुलग्नक 1 : अमृत शहरों के लिए सुधार उपलब्धि और समय सीमा

क्र.सं.	प्रकार	उपलब्धियां	कार्यान्वयन की समय सीमा
1	ई—शासन	<p>डिजिटल शहरी स्थानीय निकाय</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शहरी स्थानीय निकाय वेबसाईट का निर्माण। 2. ई—समाचार पत्र का प्रकाशन। <p>डिजिटल इंडिया पहल</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. डिजिटल इंडिया को सहायता प्रदान करना (डिक्टेंग पीपीपी मोड अथवा यूएलबी द्वारा स्वयं किया जा सकता है) 	6 महीने 6 महीने 6 महीने
		<p>ई—मास के साथ कवरेज (सॉफ्टवेयर की शुरूआत करने की तारीख से)</p> <ul style="list-style-type: none"> • जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, • जल एवं सीवरेज प्रभार, • शिकायत निवारण, • सम्पत्ति कर, • विज्ञापन कर, • लाइसेन्स जारी करना, • भवन निर्माण के लिए अनुमति, • परिवर्तन, • वेतन, • पेंशन। 	24 महीने
		<ul style="list-style-type: none"> • ई—प्रापण, • कार्मिक कर्मचारी प्रबंधन और • परियोजना प्रबंधन। 	36 महीने
2	म्युनिसिपल संवर्ग की संविधान और व्यावसायिकता	<ol style="list-style-type: none"> 1. म्युनिसिपल संवर्ग की स्थापना। 2. संवर्ग से जुड़ा प्रशिक्षण। 3. यूएलबी में प्रशिक्षकों को लगाने और कार्यान्वयन के लिए नीति। 4. राज्य यूएलबी की आबादी, वेतन संबंधी आंतरिक संसाधनों और व्यय के आधार पर म्युनिसिपल पदाधिकारियों की संख्या को ठीक करने के लिए नीति तैयार करेगी। 	24 महीने 24 महीने 12 महीने 36 महीने
3	दोहरी प्रविष्टि लेखा में वृद्धि	<ol style="list-style-type: none"> 1. पूर्णतः दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना और वित्तीय वर्ष 2012—13 से लेखा परीक्षा प्रमाण—पत्र प्राप्त करना। 2. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति। 3. वेबसाईट पर वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रकाशित करना। 	12 महीने 24 महीने प्रति वर्ष

क्र.सं.	प्रकार	उपलब्धियां	कार्यान्वयन की समय सीमा
4	शहरी आयोजना और शहरी स्तरीय योजनाएं	<ol style="list-style-type: none"> जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करना। सेवा स्तर सुधार योजनाएं (एसएलआईपी), राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपी) तैयार करना। शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना। 5 वर्षों में शहरों के हरित क्षेत्र को 15% तक उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए कार्य योजना तैयार करना। अमृत शहरों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक शिशु पार्क का विकास करना। जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीपी) पद्धति आधार पर पार्कों, खेल मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए प्रणाली स्थापित करना। सुस्थिर आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन में दिए गए मानदंडों का कार्यान्वयन करने के लिए एक राज्य स्तरीय नीति तैयार करना। 	48 महीने 6 महीने 36 महीने 6 महीने प्रति वर्ष 12 महीने 24 महीने
5	निधियों और कार्यों का हस्तांतरण	<ol style="list-style-type: none"> 14वें वित्त आयोग की निधियों और कार्यों का अंतरण सुनिश्चित करना। राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नियुक्ति करना और निर्णय लेना। समय—सीमा के अंतर्गत एसएफसी के सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। सभी 18 कार्यों यूएलबी को अंतरित करना। 	6 महीने 12 महीने 18 महीने 12 महीने
6	भवन उप—नियमों की पुनरीक्षा	<ol style="list-style-type: none"> समय—समय पर भवन उप—नियमों का संशोधन। 500 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र वाले सभी भवनों और सभी सार्वजनिक भवनों में सौर छत बनाने के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार करें। 300 वर्ग मी. और उससे अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों पर निर्मित सभी वाणिज्यिक, सार्वजनिक भवनों और नए भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए एक नीति और कार्य योजना तैयार करें। निर्माण अनुमति के लिए एकल खिड़की मंजूरी सृजित करना। 	12 महीने 12–24 महीने 12–24 महीने 12 महीने
7	राज्य—स्तर पर मध्यस्थ संस्था की व्यवस्था करना।	<ol style="list-style-type: none"> वित्तीय मध्यस्थ संस्था की स्थापना और उसका संचालन — पूल वित्त, बाह्य निधियां प्राप्त करना, म्युनिसिपल बांड जारी करना। 	12–18 महीने

क्र.सं.	प्रकार	उपलब्धियां	कार्यान्वयन की समय सीमा
8 (क)	म्युनिसिपल कर और शुल्क में सुधार	<ol style="list-style-type: none"> कम से कम 90% कवरेज, कम से कम 90% एकत्रीकरण, समय—समय पर संपत्ति कर का संशोधन, प्रभार और अन्य शुल्क लगाने के लिए नीति बनाना, वेबसाईट पर कर व्यौरों की मांग की एकत्रीकरण पुस्तिका (डीसीबी) डालना, गतिशील मूल्य निर्धारण मॉड्यूल के साथ विशेष क्षमता प्राप्त करने के लिए नीति बनाकर विज्ञापन राजस्व की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना। 	12 महीने
8 (ख)	उपभोक्ता प्रभार लगाने और एकत्रित करने में सुधार	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत और संरथागत आकलनों के लिए उपभोक्ता प्रभार पर नीति को अपनाना जिसमें जल के उपयोग हेतु कमज़ोर वर्गों के हितों पर ध्यान देने के लिए शामिल किए गए सुरक्षा उपायों हेतु भिन्न दर लगाई जाती है। जल की हानि को 20% तक कम करने के लिए कार्य योजना बनाना और वेबसाईट पर प्रकाशित करना। उपभोक्ता प्रभारों के लिए पृथक खाते। कम से कम 90% बिलिंग। कम से कम 90% एकत्रीकरण। 	12 महीने
9	क्रेडिट रेंटिंग	यूएलबी की क्रेडिट रेंटिंग पूरा करना।	18 महीने
10	ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा	<ol style="list-style-type: none"> ऊर्जा (स्ट्रीट लाइट) और जल लेखा परीक्षा (गैर राजस्व जल अथवा हानि लेखा परीक्षा सहित) एसटीपी और डब्ल्यूटीपी को अधिक ऊर्जा सक्षम बनाना ऊर्जा सक्षम लाईटों का उपयोग करके स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा खपत के अनुकूल बनाना और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाना। हरित भवनों के लिए प्रोत्साहन देना (उदाहरणार्थ, भवन अनुमति विकास प्रभारों के संबंध में संपत्ति कर अथवा प्रभारों में छूट) 	12 महीने 12 महीने 12 महीने 24 महीने
11	स्वच्छ भारत मिशन	<ol style="list-style-type: none"> खुले में शौच का उन्मूलन। अपशिष्ट एकत्रीकरण (100%), अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना (100%) वैज्ञानिक निपटान (100%) 	36 महीने

अनुलग्नक-2 : राज्य वार्षिक कार्य योजना का प्रारूप

राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

राज्य का नाम

समय अवधि (वित्त वर्ष)

इस रिपोर्ट में शामिल है :

1	सार : राज्य की समेकित अपेक्षित राशि और प्रत्येक हितधारक का अंश
2	सेवा स्तरीय सुधार योजना
3	एसएलआईपी से तैयार की गई राज्य वार्षिक कार्य योजना ³ (एसएएपी)
4	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई) के लिए कार्य योजना
5	सुधार कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना
6	राज्यों के लिए मूल्यांकन ढांचा

द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की :

दिनांक : / / /

³ राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य स्तर पर औसत सेवा स्तर सुधार योजनाओं पर आधारित होंगी।

1. राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) का सार

राज्य की समेकित अपेक्षित राशि और प्रत्येक हितधारक का अंश

तालिका संख्या	विषय—वस्तु
1.1	अमृत में शहरी विकास मंत्रालय का कुल आबंटन का व्यौरा
1.2.1	क्षेत्रवार प्रस्तावित कुल परियोजना धनराशि और हिस्सेदारी पद्धति
1.2.2	कुल धनराशि हिस्सेदारी पद्धति का व्यौरा
1.3	परियोजनाओं पर धनराशियों का उपयोग: चालू और नई
1.4	सेवा स्तर बेंचमार्क प्राप्त करने के लिए योजना

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष :

तालिका 1.1 : अमृत में शहरी विकास मंत्रालय के कुल आबंटन का व्यौरा

राज्य को आबंटित कुल केन्द्रीय धनराशि	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (कॉलम 1 में दिए गए कुल के 8 प्रतिशत की दर से) के लिए केन्द्रीय निधियों का आबंटन	अमृत के लिए निधियों का आबंटन (केन्द्रीय अंश)	कालम 4 में अमृत के लिए कॉलम 3 को 3 से गुणा करना (वार्षिक आबंटन—केन्द्रीय अंश का तीन गुना किए जाने का परियोजना प्रस्ताव)	समान (कॉलम 4) राज्य/यूएलबी का अंश जोड़ना	कुल अमृत वार्षिक आकार (कॉलम—2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष :

तालिका 1.2.1 : क्षेत्रवार प्रस्तावित कुल परियोजना धनराशि और हिस्सेदारी पद्धति

(धनराशि रु० में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	केन्द्र	राज्य	यूएलबी	अभिसरण	अन्य	कुल
1	जलापूर्ति							
2	सीवरेज और सेटेज प्रबंधन							
3	जल निकास							
4	अन्य परिवहन							
5	अन्य							
6	सकल योग							

तालिका 1.2.2 : कुल धनराशि हिस्सेदारी पद्धति का व्यौरा

(धनराशि रु० में)

वित्त वर्ष

क्र.सं.	क्षेत्र	केन्द्र	राज्य			यूएलबी			समाभि—रूपता	अन्य	कुल
		मिशन	14वाँ वित्त आयोग	अन्य	कुल	14वाँ वित्त आयोग	अन्य	कुल			
1	जलापूर्ति										
2	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन										
3	जल निकास										
4	अन्य परिवहन										
5	अन्य										
6	सकल योग										

तालिका 1.3 : सार-परियोजनाओं पर धन का उपयोग : चालू और नई

नई (धनराशि रु0 में)
वित्त वर्ष

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल परियोजना निवेश	वित्त वर्ष से प्रतिबद्ध व्यय (यदि कोई हो)			चालू वित्त वर्ष के दोरान प्रस्तावित व्यय			आगले वित्त वर्ष के लिए अग्रेनीत शेष राशि			
			राज्य			यूएलबी			राज्य			
			केन्द्र	14वां वित्त आयोग	कुल	14 वां वित्त आयोग	कुल	अन्य	केन्द्र	14वां वित्त आयोग	कुल	
1	जलापूर्ति											
2	सीवरेज और सेटेज प्रबंधन											
3	जल निकास											
4	शहरी परिवहन											
5	अन्य											
6	सकल योग											

तालिका 1.4 : सार-सेवा स्तर बैंचमार्क प्राप्त करने के लिए योजना

वित्त वर्ष

प्रस्तावित प्राथमिकता वाली परियोजनाएं	कुल परियोजना लागत	संकेतक ⁴	आधार रेखा ⁵	मास्टर प्लान पर आधारित वार्षिक लक्ष्य (आधार रेखा कीमत से वृद्धि)				
				वित्त वर्ष 2016		वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
				एव 1	एव 2			
जलापूर्ति								
		1. प्रत्यक्ष जलापूर्ति कनेक्शनों की पारिवारिक स्तर कवरेज						
		2. जलापूर्ति की प्रति व्यक्ति मात्रा						
		3. आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता						
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन								
		शौचालयों की कवरेज (व्यक्तिगत एवं समुदाय)						
		5. सीवरेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज						
		6. सीवरेज संग्रहण की क्षमता						
		7. शोधन की क्षमता						
जल निकास								
		8. जल निकास नेटवर्क की कवरेज						
शहरी परिवहन								
		9. शहर में शहरी परिवहन की सेवा कवरेज						
		10. प्रति हजार जनसंख्या शहरी परिवहन की उपलब्धता						
अन्य								

4 जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी के लिए एसएलबी ढांचे और शहरी परिवहन हेतु प्रस्तावित एसएलबी संकेतक के अनुसार

5 आधार रेखा की तुलना में लक्ष्य प्रतिशत प्राप्त करने हेतु विस्तृत सूचना का आकलन शहरों द्वारा मुहैया कराए गए ब्यौरे से किया जाएगा ताकि राज्य के संकेतकों को प्राप्त किया जा सके।

शहरी स्थानीय निकाय स्तर

2. सेवा स्तर सुधार योजना (एसएलआईपी)

तालिका	विषय-वस्तु
2.1	वर्तमान मिशन अवधि (वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक) के दौरान सभी को जलाधूर्ति सीवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाओं की मास्टर प्लान
2.2	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अमृत के अंतर्गत प्रस्तावित और नियोजित प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का व्यौरा: क्षेत्रवार
2.3.1	प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित वित्तपोषण और हिस्सेदारी पद्धति: क्षेत्रवार
2.3.2	भारत सरकार /राज्य /शहरी स्थानीय निकाय से धनराशि स्रोत (सभी क्षेत्रों के लिए)
2.4	निवेशों का वर्षवार व्यौरा (सभी क्षेत्रों के लिए)
2.5	सेवा स्तर बैंचमार्क प्राप्त करने के लिए योजना
2.6	पिछले वर्ष के दौरान मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सूचना देना

शहर का नाम : _____

वर्तमान मिशन अवधि (2015–20)

तालिका 2.1 : एसएलआईपी-वर्तमान मिशन अवधि (वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक) के दौरान सार्वभौमिक जलापूर्ति और सीवरेज मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाओं तक) का मास्टर प्लान

६ परियोजना कोड का यह संक्षिप्त रूप माना जाए : अमृत/उत्तर प्रदेश/मथुरा/डब्ल्यूएस/01 (जोन का नाम) जैसे मिशन/राज्य/शहर/क्षेत्र/संख्या (जोन)

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 2.2 : एसएलआईपी—चालू वित्त वर्ष के दौरान अमृत के अंतर्गत प्रस्तावित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का ब्यौरा: क्षेत्र—वार

क्षेत्र विवरण	परियोजना का नाम और कोड'	अवसंरचना में सुधार				अनुमानित लागत (राशि रु0 में)	
		भौतिक घटक	सेवास्तरों में परिवर्तन				
			संकेतक	मौजूदा (जैसा है)	बाद में (होना है)		
जलापूर्ति							
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन							
जल निकास							
शहरी परिवहन							
अन्य							
सकल योग							

7 परियोजना कोड का यह संक्षिप्त रूप माना जाए : अमृत/उत्तर प्रदेश/मथुरा/डब्ल्यूएस/01(जोन का नाम) जैसे मिशन/राज्य/शहर/क्षेत्र/
संख्या (जोन)

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 2.3.1 : एसएलआईपी : प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित वित्तपोषण और हिस्सेदारी पद्धति : क्षेत्रवार

(धनराशि रु० में)

क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	अंश				
		भारत सरकार	राज्य	यूएलबी	अन्य	कुल
जलापूर्ति						
सीवरेज और सेटेज प्रबंधन						
जल निकास						
शहरी परिवहन						
अन्य						
सकल योग						

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 2.3.2 : एसएलआईपी–भारत सरकार/राज्य/शहरी स्थानीय निकाय से धन का स्रोत (सभी क्षेत्रों और प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए)

(धनराशि रु० में)

स्रोत	धनराशियों का स्रोत						
	अनुदान (केन्द्र/ राज्य)	स्वनिधि (राज्य/ यूएलबी)	14वां वित्त आयोग (राज्य)	ऋण (केन्द्र/ राज्य/अन्य)	अन्य (सार्वजनिक निजी भागीदारी) (पीपीपी)	समाभिरूपता (केन्द्र/ राज्य/यूएलबी)	कुल
भारत सरकार							
राज्य							
शहरी स्थानीय निकाय							
कुल							

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 2.4 : एसएलआईपी—निवेशों का वर्ष—वार ब्यौरा (सभी क्षेत्रों के लिए)

(धनराशि रु० में)

क्षेत्र	अंश			
	भारत सरकार	राज्य	यूएलबी	कुल
पिछले वर्ष तक अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लागत (क)				
वर्ष के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं की लागत (ख)				
पिछले वर्ष तक व्यय की गई धनराशि (ग)				
प्रतिबद्ध व्यय (घ) = (क+ख+ग)				
चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित व्यय (नई और पुरानी परियोजनाएं) (ङ)				
शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में लिया जाएगा (च) = (घ)−(ङ)				

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

प्रस्तावित परियोजना	कुल परियोजना लागत	सूचक ⁸	आधार रेखा ⁹	वार्षिक लक्ष्य (आधार रेखा मूल्य से वृद्धि)				
				वित्त वर्ष 2016		वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019
				एच 1	एच 2			
जलापूर्ति								
		1. प्रत्यक्ष जलापूर्ति कनेक्शन की पारिवारिक स्तर तक कवरेज						
		2. जलापूर्ति की प्रति व्यक्ति मात्रा						
		3. आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता						
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन								
		4. शौचालयों की कवरेज (व्यक्तिगत एवं समुदाय)						
		5. सीवरेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज						
		6. सीवरेज एकत्र करने की क्षमता						
		7. शोधन की क्षमता						
जल निकासी								
		8. जल निकासी नेटवर्क की कवरेज						
शहरी परिवहन								
		9. शहर में शहरी परिवहन की सेवा कवरेज						
		10. प्रति हजार जनसंख्या शहरी परिवहन की उपलब्धता						
अन्य								

8 जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और जल निकास के लिए एसएलबी रूपरेखा के अनुसार तथा शहरी परिवहन के लिए प्रस्तावित एसएलबी संसूचक (कृपया अनुलग्नक-1 देखें)

9 आधार रेखा की तुलना में प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रस्ताव के साथ-साथ विस्तृत सूचना संलग्न की जाएगी।

शहर का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 2.6 : एसएलआईपी – गत वित्तीय वर्ष के दौरान मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की सूचना देना

परियोजना का नाम	पिछले वर्ष का लक्ष्य		पिछले वर्ष की उपलब्धि		अंतर		अंतर का कारण
	भौतिक %	वित्तीय %	भौतिक %	वित्तीय %	भौतिक %	वित्तीय %	

* शहरी विकास मंत्रालय को इस तालिका की अनुमोदित प्रति एसएएपी के साथ भेजी जानी चाहिए।

राज्य स्तरीय

3. एसएलआईपीएस से प्राप्त की गई राज्य वार्षिक कार्य योजना¹⁰ (एसएएपी)

तालिका संख्या	विषय
3.1	तालिका 2.1 के आधार पर वर्तमान मिशन अवधि के दौरान सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाओं का मास्टर प्लान (वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)
3.2	राज्य में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए संक्षिप्त निवेशों का क्षेत्र-वार ब्लौरा
3.3	सभी क्षेत्रों के लिए निधियों का शहरी स्थानीय निकाय-वार स्रोत
3.4	सभी क्षेत्रों के लिए निवेशों का वर्ष-वार अंश (यूएलबी-वार)
3.5	सेवा-स्तरीय मानदंडों को प्राप्त करने के लिए राज्य-स्तरीय योजना
3.6	भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए राज्य-स्तरीय कार्य योजना

¹⁰ राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य स्तर पर सेवा-स्तरीय सुधार योजनाओं को मिलाने के आधार पर तैयार होंगी।

राज्य का नाम :

वर्तमान मिशन अवधि 2015–20

तालिका 3.1 : के आधार पर वर्तमान मिशन अवधि के दौरान सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए सभी परियोजनाओं के ब्यौरे का मास्टर प्लान (वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)

(घनराशि रु० में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम (जलापूर्ति और सीवरेज)	सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की कुल संख्या	अनुमानित लागत	सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त किए जाने वाले वर्षों की संख्या
1	2	3	4	5

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 3.2 : एसएएपी— राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए समेकित निवेशों का क्षेत्र—वार ब्यौरा

(घनराशि रु० में)

शहर का नाम	जलापूर्ति	सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन	जल निकास	शहरी परिवहन	अन्य	सुधार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल परियोजना निवेश							
प्रशासनिक और अन्य व्यय							
सकल योग							

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 3.3 : एसएएपी – सभी क्षेत्रों के लिए निधियों का शहरी स्थानीय निकाय–वार स्रोत

(धनराशि रु० में)

शहर का नाम	केन्द्र	राज्य			यूएलबी			अभिसरण	अन्य (अर्थात प्रोत्साहन)	कुल
		14वां वित्त आयोग	अन्य	कुल	14वां वित्त आयोग	अन्य	कुल			
कुल										
सकल योग										

राज्य का नाम :

ANSWER

विना वर्ण

तालिका 3.4 : एसएएफी – सभी क्षेत्रों के लिए निवेशों का वर्ष-वार अंश (युएलबी-वार)

(धनराशि रु० में)

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 3.5 : एसएएपी – सेवा–स्तरीय मानदंडों को प्राप्त करने के लिए राज्य–स्तरीय योजना

प्राथ- मिकता वाली प्रस्तावित परि- योजनाएं	कुल परियोजना लागत	संसूचक ¹¹	आधार रेखा ¹²	वार्षिक लक्ष्य (आधार रेखा मूल्य से वृद्धि)					
				वित्त वर्ष 2016		वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2020
				एच1	एच 2				
जलापूर्ति									
		1. प्रत्यक्ष जलापूर्ति कनेक्शन की पारिवारिक स्तर तक कवरेज							
		2. जलापूर्ति की प्रति व्यवित मात्रा							
		3. आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता							
सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन									
		4. शौचालयों की कवरेज (व्यक्तिगत एवं समुदाय)							
		5. सीवरेज नेटवर्क सेवाओं की कवरेज							
		6. सीवरेज एकत्र करने की क्षमता							
		7. शोधन की क्षमता							
जल निकास									
		8 जल निकास नेटवर्क का कवरेज							
शहरी परिवहन									
		9 शहर में शहरी परिवहन की सेवा कवरेज							
		10 प्रति हजार जनसंख्या शहरी परिवहन की उपलब्धता							
अन्य									

11 जलापूर्ति, सीवरेज, डोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकास के लिए एसएलबी रूपरेखा के अनुसार तथा शहरी परिवहन के लिए प्रस्तावित एसएलबी संसूचक (कृपया अनुलग्नक-1 देखें)

12 आधार रेखा की तुलना में प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत सूचना राज्यों को प्रस्ताव के साथ-साथ संलग्न की जाएगी।

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 3.6 : एसएएपी – भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए राज्य–स्तरीय कार्य योजना

क्षेत्र :

शहर का नाम	निष्पादन संसूचक	आधार रेखा (दिनांक..... के अनुसार)	मिशन लक्ष्य	वित्तीय वर्ष के लिए			
				अर्द्धवार्षिक 1 के लिए		अर्द्धवार्षिक 2 के लिए	
				प्राप्त की जाने वाली भौतिक प्रगति	उपयोग की जाने वाली धनराशि	प्राप्त की जाने वाली भौतिक प्रगति	उपयोग की जाने वाली धनराशि

(नोट : परियोजना की पूर्णता तक प्रत्येक शहर में हर क्षेत्र, हर अर्द्ध-वर्ष के लिए उपर्युक्त सूचना प्रदान की जाए।

4. प्रशासनिक और अन्य व्ययों के लिए कार्य योजना

राज्य का नाम :

वित्त वर्ष

तालिका 4: एसएएपी – प्रशासनिक और अन्य व्ययों के लिए व्यापक प्रस्तावित आबंटन

(राशि रु० में)

क्र.सं.	प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए प्रस्तावित मद	कुल आबंटन	पिछले वर्ष के लिए वचनबद्ध व्यय (यदि कोई हो)	वर्तमान वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित व्यय	आगे ले जाने हेतु शेष राशि			
					वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2020
1	एसएलआईपी और एसएएपी की तैयारी							
2	पीडीएमसी							
3.	तृतीय पक्ष स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी लेना							
5	प्रकाशन (ई—पत्रिका , दिशा—निर्देश, विवरणिका आदि)							
6	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण —सीसीबीपी, यदि लागू हो – अन्य							
7	सुधार कार्यान्वयन							
8	अन्य							
कुल								

5. सुधार कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना

तालिका संख्या	विषय—वस्तु
5.1	वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अमृत शहरों के लिए सुधारों की प्रकृति, उपाय और लक्ष्य
5.2	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अमृत शहरों के लिए सुधारों की प्रकृति, उपाय और लक्ष्य
5.3	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अमृत शहरों के लिए सुधारों की प्रकृति, उपाय और लक्ष्य
5.4	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए अमृत शहरों के लिए सुधारों की प्रकृति, उपाय और लक्ष्य
5.5	सुधार कार्यान्वयन पर प्रगति की रिपोर्ट हेतु स्व—मूल्यांकन

तालिका 5.1: एसएएपी – अमृत शहरों के लिए सुधारों के प्रकार, कदम और लक्ष्य वित्तीय वर्ष—2015–2016

क्र.सं.	प्रकार	उपाय	कार्यान्वयन समय—सीमा	एसएएपी में राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य	
				अप्रैल से सितम्बर, 2015	अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016
1	ई—गवर्नेंस	<p>डिजीटल शहरी स्थानीय निकाय</p> <ol style="list-style-type: none"> शहरी स्थानीय निकाय की वेबसाइट तैयार करना। ई—न्यूजलेटर का प्रकाशन, डिजीटल इण्डिया पहल। डिजीटल इण्डिया को समर्थन देना (डिविटंग, पीपीपी मोड पर अथवा स्वयं शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की जाएगी)। 	<p>6 महीने</p> <p>6 महीने</p> <p>6 महीने</p>		
2	नगर संवर्ग का गठन और व्यवसायीकरण	1. शहरी स्थानीय निकाय में इन्टर्नस को लगाने हेतु नीति और कार्यान्वयन	12 महीने		
3	दोहरी प्रविष्टि लेखांकन को बढ़ाना	<ol style="list-style-type: none"> दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में सम्पूर्ण अंतरण और वित्त वर्ष 2012–13 से प्रभावी एक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना। वेबसाइट पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रकाशन 	<p>12 महीने</p> <p>प्रत्येक वर्ष</p>		
4	शहरी नियोजन और सिटी विकास योजनाएं	<ol style="list-style-type: none"> सेवा स्तरीय सुधार योजना (एसएलआईपी), राज्य वार्षिक कार्रवाई योजना (एसएएपी) की तैयारी। 5 वर्षों में, सिटीज में 15% तक हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक प्रगतिशील कार्रवाई योजना तैयार करना। एएमआरयूटी सिटीज में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बाल उद्यान का विकास करना। जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीपी) मॉडल पर आधारित पार्कों, खेल मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के रख—रखाव हेतु एक प्रणाली स्थापित करना। 	<p>6 महीने</p> <p>6 महीने</p> <p>प्रत्येक वर्ष</p> <p>12 महीने</p>		
5	निधियों और कृत्यों का हस्तांतरण	<ol style="list-style-type: none"> शहरी स्थानीय निकाय को 14वें वित्त आयोग के कार्यों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करना। राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नियुक्ति करना और निर्णय लेना। सभी 18 कृत्यों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना। 	<p>6 महीने</p> <p>12 महीने</p> <p>12 महीने</p>		

6	भवन उप-नियमों की समीक्षा	<ol style="list-style-type: none"> भवन उप-नियमों की आवधिक रूप से समीक्षा करना। भवन अनुमतियां देने के लिए सभी अनुमोदनों हेतु एकल खिड़की स्वीकृति तैयार करना। 	12 महीने		
7(क)	नगर कर और शुल्क सुधार	<ol style="list-style-type: none"> कम से कम 90% कवरेज। कम से कम 90% संग्रहण। संपत्ति कर, उगाही प्रभार और अन्य शुल्कों को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए नीति तैयार करना। वेबसाइट पर कर विवरणों की मांग एकत्रीकरण पुस्तिका (डीसीबी) पोस्ट करना। डेस्टिनेशन स्पेशिफिक पोर्टफिल वाली एक नीति बना कर विज्ञापन राजस्व की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना। 	12 महीने		
7(ख)	उगाही और उपयोगकर्ता प्रभारों के संग्रहण में सुधार	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत और सांस्थानिक आकलनों के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों संबंधी एक नीति अपनाना जिसमें जल उपयोग के लिए एक परिकलित दर ली जाती है और कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल किया जाना है। जल की हानि को 20% तक कम करने के लिए एक कार्रवाई योजना बनाना और वेबसाइट पर डालना। उपयोगकर्ता प्रभारों के लिए अलग लेखा। कम से कम 90% बिल तैयार करना। कम से कम 90% संग्रहण। 	12 महीने		
8	ऊर्जा एवं जल लेखा परीक्षा	<ol style="list-style-type: none"> ऊर्जा (स्ट्रीट लाइटें) और जल परीक्षा (गैर-राजस्व जल अथवा हानि लेखा परीक्षा सहित)। एसटीपी और डब्ल्यूटीपी को ऊर्जाक्षम बनाना। ऊर्जाक्षम लाइटों का उपयोग करके और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाकर स्ट्रीट लाइटों की इष्टतम ऊर्जा खपत। 	12 महीने		

**तालिका 5.2 : एसएएपी – अमृत शहरों के सुधार का प्रकार
कदम और लक्ष्य वित्त-वर्ष कार्यान्वयन 2016–2017**

क्र.सं.	प्रकार	कदम	कार्यान्वयन समय—सीमा	एसएएपी में राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य			
				अप्रैल से सितम्बर, 2015	अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016	अप्रैल से सितम्बर, 2016	अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017
1	ई—गर्वनेंस	<ul style="list-style-type: none"> 1. ई—एमएएएस सहित कवरेज (सॉफ्टवेयर की हॉस्टिंग की तिथि से)। • जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, • जल एवं सीवरेज प्रभार, • शिकायत निपटान, • सम्पत्ति कर, • विज्ञापन कर, • लाइसेंस जारी करना, • भवन अनुमतियां, • नामान्तरण, • वेतन—पत्रक, • पेंशन और ई—प्रापण, 	24 महीने				
2	नगर संवर्ग का गठन और व्यावसायिकरण	<ul style="list-style-type: none"> 1. नगर संवर्ग की स्थापना। 2. संवर्ग बद्ध प्रशिक्षण। 	24 महीने				
3	दोहरी प्रविष्टि लेखाकांन का संवर्धन	<ul style="list-style-type: none"> 1. आन्तरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति। 	24 महीने				
4	शहरी नियोजन और नगर विकास योजनाएं	<ul style="list-style-type: none"> 1. सुरिश्वर पर्यावासों हेतु राष्ट्रीय मिशन में दिए गए प्रतिमानों के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय नीति बनाना। 	24 महीने				
5	निधियों और कृत्यों का हस्तांतरण	<ul style="list-style-type: none"> 1. समय—सीमा के अन्दर एसएफरी सिफारिशों का कार्यान्वयन करना। 	24 महीने				
6	भवन उप—नियमों की समीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> 1. राज्य, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले सभी भवनों और सभी सार्वजनिक भवनों में छत पर सौर प्रणाली संबंधी नीति और कार्रवाई योजना तैयार करे। 2. राज्य, 300 वर्ग मीटर और इससे अधिक के प्लॉटों पर सभी व्यावसायिक, सार्वजनिक भवनों और नए भवनों में वर्षा जल संचयन संरचना के लिए एक नीति और कार्रवाई योजना तैयार करे। 	<ul style="list-style-type: none"> 24 महीने 24 महीने 				
7	राज्य स्तर पर वित्तीय मध्यस्थ का गठन करना।	<ul style="list-style-type: none"> 1. वित्तीय मध्यस्थ का गठन और उसका प्रचालन — पूल फाइनेंस, बाह्य निधि उपक्रम, नगर बॉण्डों को प्रचालित करना। 	24 महीने				
8	क्रेडिट रेटिंग	<ul style="list-style-type: none"> 1. शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग को पूरा करना। 	24 महीने				
9	ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> 1. हरित भवनों के लिए प्रोत्साहन देना (अर्थात् सम्पत्ति कर अथवा भवन अनुमति से संबंधित प्रभार/विकास प्रभारों में छूट) 	24 महीने				

**तालिका 5.3: एसएएपी – अमृत शहरों के सुधार का प्रकार,
कदम और लक्ष्य वित्त–वर्ष 2017–2018**

क्र.सं.	प्रकार	कदम	कार्यान्वयन समय–सीमा	एसएएपी में राज्यों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य					
				अप्रैल से सितम्बर, 2015	अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016	अप्रैल से सितम्बर, 2016	अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017	अप्रैल से सितम्बर, 2017	अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018
1	ई—गर्वनेंस	1. कार्मिक स्टॉफ प्रबंधन 2. परियोजना प्रबंधन	36 महीने						
2	शहरी नियोजन और नगर विकास योजनाएं	1. शहरी विकास प्राधिकरणों की स्थापना करना।	36 महीने						
3	स्वच्छ भारत मिशन	1. खुले में मलत्याग का उन्मूलन 2. अपशिष्ट संग्रहण (100%), 3. अपशिष्ट की ढुलाई (100%), 4. वैज्ञानिक निपटान (100%), 5. राज्य, शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या, आन्तरिक संसाधनों के सृजन और वेतन पर होने वाले व्यय के आधार पर नगर अधिकारियों की संख्या के उचित आकार के लिए, एक नीति तैयार करेंगे।	36 महीने						

**तालिका 5.4 : राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी)–सुधारों के प्रकार, कदम तथा वित्त
वर्ष 2018–2019 में अमृत शहरों हेतु लक्ष्य**

क्र.सं.	प्रकार	कदम	कार्यान्वयन की समय–सीमा	एसएएपी में राज्यों द्वारा नियत किए जाने वाले लक्ष्य							
				अप्रैल से सितम्बर, 2015	अक्टू 2015 से मार्च, 2016	अप्रैल से सित, 2016	अक्टू 2016 से मार्च, 2017	अप्रैल से सित, 2017	अक्टू 2017 से मार्च, 2018	अप्रैल से सित, 2018	अक्टू 2018 से मार्च, 2019
1	शहरी आयोजना और नगर विकास योजनाएं	1. जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करना	48 माह								

तालिका 5.5 : एसएपी—सुधार कार्यान्वयन पर प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए स्व—मूल्यांकन

वित्तीय वर्ष के लिए.....

(पिछला वित्तीय वर्ष)

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों के सामने पूरे किए गए प्रत्येक सुधार की उपलब्धि के लिए 10 अंक आबंटित करते हुए पूरे किए गए सुधारों को वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात प्रत्येक वर्ष मापा जाएगा।

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्धियों की संख्या	अधिकतम स्कोर
1	प्रथम वर्ष	28	280
2	द्वितीय वर्ष	13	130
3	तृतीय वर्ष	8	80
4	चतुर्थ वर्ष	3	30

प्रोत्साहन आधारित जारी अनुदान की गणना :

राज्यों को निम्नलिखित स्व—मूल्यांकन फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी।

चरण 1 : निम्न तालिका भरें

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम प्राप्तांक संभव	शहरी स्थानीय निकाय—वार प्राप्त प्राप्तांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
3 शहरी स्थानीय निकायों का उप—योग			
	राज्य		
1			
2			
3			
राज्य का उप—योग			
कुल योग			

चरण 2 : राज्य द्वारा प्राप्त प्रतिशत में समग्र प्राप्तांक की गणना (राज्य प्राप्तांक + शहरी स्थानीय निकाय प्राप्तांक)।

चरण 3 : केवल उन राज्यों पर प्रोत्साहन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने समग्र सुधार प्राप्तांक 70 प्रतिशत और उससे अधिक प्राप्त किया होगा।

चरण 4 : यदि समग्र प्राप्तांक 70 प्रतिशत से अधिक है, तो प्रोत्साहन राशि को राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक हासिल करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

6. राज्यों के लिए मूल्यांकन रूपरेखा

तालिका सं.	विषय सूची
6.1	राज्य एचपीएससी के सामने रखे जाने वाले राज्य मिशन निदेशालय द्वारा एसएलआईपी का मूल्यांकन
6.2	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के लिए भेजी जाने वाली समेकित राज्य वार्षिक कार्य योजना
6.3	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं का अनन्तिम मूल्यांकन

तालिका 6.1 : जाँच सूची – राज्य एचपीएससी के सामने रखे जाने वाले राज्य मिशन निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की एसएलआईपी का मूल्यांकन

शहरी स्थानीय निकाय—राज्य :

क्र.सं.	मूल्यांकन का क्षेत्र	हाँ / नहीं	सहायक दस्तावेज़	टिप्पणियां
	1. क्या शहर के सेवा कवरेज सूचक के लिए आधारभूत (बेसलाइन) का आकलन किया गया है?			
	2. क्या एसएलआईपी विकसित करने तथा शहर विकास योजना तैयार करने के लिए नागरिक परामर्श किए गए हैं?			
	3. क्या परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता नागरिक परामर्श के आधार पर दी गई है?			
	4. क्या शहर के कम लागत या बिना लागत सुधारों का आकलन किया गया है जो सेवा स्तर में सुधार कर सकते हैं?			
	5. क्या सेवा स्तर में सुधार करने के लिए पहचान की गई पूंजी निवेश, प्रबंधन सुधारों के साथ हैं?			
	6. क्या प्रस्तावित निवेश रस्तम / शहरी गरीब क्षेत्रों के लिए सेवा स्तर को सुनिश्चित करेगा?			
	7. क्या प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को शामिल करने के पश्चात सुधार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता की जरूरत को संबोधित करती है?			
	8. क्या प्रस्तावित निवेश, सूचक में परिकल्पित सुधार के स्तर के अनुरूप है?			
	9. क्या शहर के लिए निवेश की लागत कम करने हेतु स्मार्ट समाधान का प्रस्ताव किया गया है?			
	10. शहर द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट समाधान के प्रकार			
	11. क्या शहर के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि निवेश प्रस्ताव उचित लागत मानदंडों के आधार पर हैं?			
	12. क्या शहर के लिए निम्नलिखित संसाधन आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु वित्तीय पूर्वानुमान किया गया है क) पूंजीगत लागत ख) प्रचालन एवं अनुरक्षण ग) ऋण की चुकौती / पीपीपी द्वारा वित्तपोषण योगदान			
	13. क्या शहर के लिए स्टाफ और लागत सहित वृद्धिशील प्रचालन और अनुरक्षण आवश्यकताओं की पहचान की गई है?			
	14. क्या शहर के लिए निवेश की जरूरत को पूरा करने हेतु फंड के विभिन्न स्रोतों पर विचार किया गया है?			
	15. क्या शहर के लिए अभिनव वित्तपोषण के विकल्प सहित अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सभी संभावित राजस्व सुधारों पर विचार किया गया है?			
	16. क्या शहर के लिए बाजार ऋण सहित वित्त के सभी स्रोतों का पता लगाया गया है?			
	17. क्या शहर के लिए विभिन्न पीपीपी विकल्पों पर विचार किया गया है?			
	18. क्या शहर के लिए सुधारों के कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट स्थिति और रोडमैप को प्रदान किया गया है?			
	19. क्या शहरों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं और सुधारों की शुरुआत हेतु कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है?			
	20. क्या पैरा 7.2 के अनुसार अमृत में वित्तपोषण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राथमिकता दी गई है?			

तालिका 6.2 : जाँच सूची – शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के लिए भेजी जाने वाली सभी शहरी स्थानीय निकायों की समेकित राज्य वार्षिक कार्य योजना

राज्य :

क्र.सं.	विचारार्थ बिंदु	हाँ / नहीं	विस्तृत जानकारी दें
	1. क्या सभी शहरों ने प्रस्तावित दृष्टिकोण के अनुसार एसएलआईपी तैयार की गई है?		
	2. क्या एसएएपी ने शहरों में प्रस्तावित निवेश को प्राथमिकता दी है?		
	3. क्या राज्य द्वारा प्रस्तावित सुधारों (निवेश और प्रबंधन सुधार दोनों) का सूचक-वार सारांश स्थान पर है?		
	4. क्या मिशन के अंतर्गत सभी शहरों के लिए सेवा कवरेज संकेतक के आधारभूत आकलन की पहचान कर ली गई / को कर लिया गया है?		
	5. क्या एसएएपी प्रत्येक सेक्टर के लिए मंत्रालय द्वारा सहमत सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने की ओर उस दृष्टिकोण के अनुकूल हैं?		
	6. क्या प्रस्तावित निवेश, सूचक में परिकल्पित सुधार के स्तर के अनुरूप हैं?		
	7. क्या राज्य शेयर एवं शहरी स्थानीय निकाय शेयर प्रस्तावित मिशन दृष्टिकोण के साथ लाइन में हैं?		
	8. क्या अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है और राज्य ने अतिरिक्त संसाधन (राज्य कार्यक्रम, सहायता प्राप्त परियोजनाएं, शहरों के लिए अतिरिक्त हस्तांतरण, 14वां वित्त आयोग, बाहरी स्रोत) जुटाने पर विचार किया है?		
	9. क्या राज्य वार्षिक कार्य योजना यह सत्यापित करती है कि शहरों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा चुकौती हेतु राजस्व आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए वित्तीय अनुमानों को लगाया गया है?		
	10. क्या राज्य की वार्षिक कार्ययोजना में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के संसाधन जुटाने की क्षमता पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी स्थानीय निकाय शेयर जुटाया जा सकता है, विचार किया गया है?		
	11. क्या पीडीएमसी की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है?		
	12. क्या शहरी स्थानीय निकाय की संसाधन क्षमता को समझने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है?		
	13. क्या परियोजनाओं और सुधारों के लिए कार्यान्वयन योजना स्थान पर है? (समय सीमा और वार्षिक उपलब्धियाँ)		
	14. क्या दिशा निर्देशों के पैरा 7.2 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है?		

एसएचपीएससी का कार्यवृत्त संलग्न करें

(राज्य मिशन निदेशक)

तालिका 6.3 : जाँच सूची – शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं का अंतरिम मूल्यांकन

क्र.सं.	मूल्यांकन का क्षेत्र	हाँ/ नहीं	समर्थित दस्तावेज	टिप्पणियाँ
1.	क्या राज्य ने आधार भूत डाटा के आधार पर शहरों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है?		मूल्यांकन रिपोर्ट	
2.	क्या राज्य ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शहर द्वारा कम लागत या बिना लागत सुधारों की पहचान की गई है?		मूल्यांकन रिपोर्ट	
3.	क्या राज्य ने अच्छी तरह से पूँजीगत व्यय की योजना बनाई और वित्त पोषण किया है?			
4.	केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का अपेक्षित स्तर क्या है और कितनी अच्छी तरह से राज्य/शहरी स्थानीय निकाय एवं वित्त के अन्य स्रोतों की पहचान की गई है और उन तक पहुँच बनाई गई है?			
5.	क्या राज्य ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य अंश का बजट पर्याप्त रूप से दिया गया है?			
6.	क्या राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं कि शहरों को परियोजना लागत के अपने हिस्से को जुटाने के लिए सहायता की जाए, यदि आवश्यक हो?			
7.	क्या राज्य ने परियोजनाओं और सुधारों का प्रबंधन करने के लिए परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है?			
8.	क्या एफ.एफ.सी. अनुदान राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को जारी किया गया है?			
9.	क्या एफ.एफ.सी. की अन्य निष्पादन आवश्यकताओं का पालन किया गया है?			
10.	राज्य ने कितनी अच्छी तरह से जलापूर्ति, सीवरेज / सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट, शहरी परिवहन और वर्षा जल में सार्वभौमिक कवरेज और मानक की उपलब्धि की दिशा में कदम के लिए योजना बनाई है।			
11.	क्या सुधारों के लिए लक्ष्य (समय-सीमा और उपलब्धियाँ) विकसित किए गए हैं?			
12.	क्या राज्य ने प्रस्तावित परियोजनाओं में पीपीपी के लिए क्षमता का पता लगाया है?			
13.	क्या एक वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना की गई है?			
14.	राज्य स्तर पर अंतराल विश्लेषण के लिए मूल्यांकन कितनी अच्छी तरह से किया गया है?			
15.	परियोजनाओं का तकनीकी वित्तीय विवरण कितना अच्छा है?			
16.	क्या राज्य ने पैरा 7.2 में दी गई प्राथमिकता की नीति का पालन किया है?			

अनुलग्नक 3 : सी—डैक द्वारा विकसित स्मार्ट समाधान की सूची

घटक	स्मार्ट समाधान
सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> सीवर पाइप नेटवर्क में महत्वपूर्ण स्थानों पर मैनहोल में सीवरेज के स्तर की निगरानी जब मैनहोल में स्तर वर्तमान निर्धारित मान से अधिक हो जाए तब केन्द्रीय निगरानी स्टेशन में अलार्म बजना सभी उल्लिखित मापदंडों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट एकीकृत जीएसएम मॉडम के साथ एक अल्ट्रासोनिक स्तर सेंसर का विकास
जलापूर्ति प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> स्मार्ट पानी के मीटर और बिलिंग प्रणाली दूर से संचालित स्वचालित वितरण मान जल गुणवत्ता निगरानी के लिए प्रणाली
ऊर्जा प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> स्मार्ट होम ऊर्जा नेटवर्क प्रणाली: लोड के विभिन्न प्रकार की पहचान करना तथा तदनुसार लोड संतुलन की योजना बनाना आईईसी 61850 पर आधारित स्मार्ट सब-स्टेशन स्व-चालन प्रणाली वितरण प्रणाली के लिए ऊर्जा संरक्षण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण
नागरिक सुरक्षा प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> शहर व्यापक बुद्धिमत्तापूर्ण वितरित वीडियो निगरानी नेटवर्क की स्थापना चेहरे की पहचान भीड़—भाड़ वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर आपराधिक संदिग्धों की पहचान करने और नज़र रखने को सक्षम बनाता है नोड से विश्लेषण केंद्र तक विश्वसनीय और सुरक्षित डाटा / वीडियो प्रसारण बनाने को सुनिश्चित करना
आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> जीपीएस सक्षम एंबुलेंस के साथ मापनीयता को दर्शाने को सीमित सीमा तक कार्यान्वयन गतिशील नियमित मानचित्र के लिए मोबाइल एप लिखित मानकों के संदर्भ में रूपरेखा आपातकालीन वाहनों के साथ मापनीयता को दर्शाने का सीमित सीमा तक सिमुलेशन और कार्यान्वयन
स्वच्छ वातावरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रदूषण निगरानी प्रणाली निगरानी और नियंत्रण के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शहर के भीतर विभिन्न स्थानों में वायु प्रदूषण के स्तर का संकेत करते हुए प्रदूषण मानचित्र के रूप में वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण वायु प्रदूषण पूर्वानुमान के लिए कलन विधि उच्च संवेदनशील ध्वनि सेंसर के साथ वायरलेस नेटवर्क एंड नोड इंटरनेट क्लाउड को डाटा स्थानांतरित करने के लिए वायरलेस गेटवे ध्वनि संबंधी आकड़ों पर आंकड़ा विश्लेषिकी

अनुलग्नक 4 : शहरों/राज्यों के लिए अंक सूची

(प्रति तिमाही प्रस्तुत किया जाए)
मिशन उद्देश्यों की प्रगति (राज्य स्तरीय)

क्षेत्र	एसएलबी	बेसलाइन	मिशन लक्ष्य	अब तक लक्ष्य	उपलब्धि

संसाधन जुटाव (शहर—वार)

शहर का नाम	स्रोत	मिशन लक्ष्य	अब तक लक्ष्य	उपलब्धि
शहर का नाम	भारत सरकार			
	राज्य			
	यूएलबी			
	अन्य			
शहर का नाम	भारत सरकार			
	राज्य			
	यूएलबी			
	अन्य			

कार्यान्वयन की स्थिति (परियोजना—वार)

परियोजना का नाम (क्षमता निर्माण भी)	वास्तविक प्रगति	इकाई	मिशन लक्ष्य	अब तक लक्ष्य	उपलब्धि
परियोजना 1	वास्तविक प्रगति	%			
	वित्तीय प्रगति	%			
	अब तक संवितरित की गई धनराशि	करोड़ रु० में			
परियोजना 2	वास्तविक प्रगति	%			
	वित्तीय प्रगति	%			
	अब तक संवितरित की गई धनराशि	करोड़ रु० में			

निधि प्रवाह (शहर वार)

शहर का नाम	भारत सरकार वित्त—पोषण	बजट	स्वीकृत	संवितरित	उपार्जित

अनुलग्नक 5 : उपयोग प्रमाण—पत्र का प्रारूप (शहर—वार)

उपयोग प्रमाण—पत्र का प्रपत्र

क्र. सं.	पत्र सं. और तारीख	राशि(रु०)	
	कुल		<p>प्रमाणित किया जाता है कि हासिए में दिए गए पत्र संख्या के तहत इस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गतके पक्ष में वर्ष के दौरान स्वीकृतरु० के सहायता अनुदान में से तथा पूर्व वर्ष की अव्ययित शेष राशिरु० के कारणरु० की राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और यह कि वर्ष के अंत में उपयोग नहीं की गईरु० की शेष राशि सरकार को लौटा (दिनांक की संख्याके तहत) दी गई है, अगले वर्षके दौरान देय सहायता अनुदान के लिए समायोजित की जाएगी।</p>

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत रूप से पूरा कर लिया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि कर ली है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिस प्रयोजन के लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

की गई जांच के प्रकार

1.

2.

(स्थूनिसिपल आयुक्त/यूएलबी के पसुध)

दिनांक :

1. भारत सरकार द्वारा एसीए जारी करने की तारीख—
2. शहरी स्थानीय निकायों को एसीए जारी करने की तारीख —
3. शहरी स्थानीय निकायों को राज्य अंश जारी करने की तारीख —
4. शहरी स्थानीय निकायों को एसीए जारी करने में विलंब हेतु

कठौती किए जाने वाली जी—सैक दर पर गणना किया गया व्याज—

प्रति हस्ताक्षर

शहरी विकास के प्रधान सचिव/सचिव

अनुलग्नक 6 : परियोजना निधि हेतु अनुरोध

6.1 परियोजना—वार किश्त जारी करने हेतु अनुरोध यूएलबी द्वारा राज्य को प्रस्तुत किया जाए।

1	परियोजना का नाम												
2	एचएसपीएससी द्वारा अनुमोदन की तिथि												
3	पूर्णता की तिथि				प्रारंभ तिथि								
					संशोधित तिथि, यदि कोई हो,								
4a.	अनुमोदित लागत												
4b.	निविदा लागत												
5	अनुमोदित लागत पर आधारित स्वीकार्य एसीए												
6	केन्द्र/राज्य/यूएलबी का अंश जारी करना (लाख रु० में)			कुल अंश	देय	जारी							
				एसीए + राज्य + यूएलबी									
किश्त		केन्द्रीय अंश		राज्य अंश		यूएलबी अंश		अन्य अंश					
		देय	जारी	देय	जारी	देय	जारी	देय	जारी				
प्रथम													
द्वितीय													
तृतीय													
कुल		लाख रु०	लाख रु०	लाखरु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०				
7	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र		 लाख रु०									
8	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग की धनराशि का प्रतिशत												
9	वास्तविक प्रगति												

10	एसएचपीएससी द्वारा परियोजना की स्वीकृति और अगली किश्त जारी करते समय लगाई गई शर्तें			
11	क्या एसएचपीएससी द्वारा लगाई गई शर्तें पूरी की गई हैं			
12	सुधारों का कार्यान्वयन			
	वित्त वर्ष वित्त वर्ष में सुधारों की संख्या	लक्ष्य गतिविधियों की संख्या	अब तक लक्ष्य	अब तक उपलब्धि
	1			
	2			
	3			
	4			
13	(क) अंतिम तिमाही के लिए प्राप्तांक पत्र की स्थिति	प्रस्तुत / प्रस्तुत नहीं		
	(ख) आईआरएमए रिपोर्ट की स्थिति एवं उसकी सिफारिशें	क्या तिमाही आईआरएमए निरीक्षण किया गया हाँ / नहीं	आईआरएमए द्वारा की गई ¹ टिप्पणी	राज्य / यूएलबी द्वारा की गई ¹ कार्रवाई
14	एचएसपीएससी द्वारा किश्त जारी करने हेतु प्रस्ताव			

(म्यूनिसिपल आयुक्त / यूएलबी, पैरास्टेटल प्रमुख)

दिनांक :

6.2 : राज्यों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को भेजे जाने वाले किशत जारी करने के अनुरोध का सारांश

(राज्य मिशन निदेशक)

अनुलग्नक 7 : वार्षिक क्षमता निर्माण योजना

वर्तमान में, शहरी विकास मंत्रालय दो स्कीमों—व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सी सी बी पी) तथा शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) के माध्यम से राज्यों तथा शहरी स्थानीय (यूएलबी) को क्षमता निर्माण गतिविधियों में सहयोग कर रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन तथा अमृत का पुनः संरेखण करने के पश्चात्, कार्यनीति तथा कार्य योजना निम्नलिखित हैं : —

कार्यनीति

विभिन्न रिपोर्टों तथा अध्ययनों¹³ में नगर पालिका पदाधिकारियों तथा नगरपालिका संस्थाओं दोनों के क्षमता निर्माण की सिफारिश की गई है। तदनुसार, पुनः संरेखित क्षमता निर्माण योजना में दो कार्यनीतिक व्यवस्थाएं शामिल हैं— वैयक्तिक क्षमता निर्माण तथा सांस्थानिक क्षमता निर्माण। व्यक्तिगत प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रकार्यात्मक ज्ञान को बढ़ाना, कार्य से संबंधित योग्यताओं को सुधारना तथा नगरपालिका पदाधिकारियों के दृष्टिकोण को बदलना है। नगरपालिका की पदाधिकारियों को एक वर्ष का प्रशिक्षित संस्थाओं (कक्षा) में दिया जाएगा जिसको उनके कार्यस्थल में भी लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके कार्य स्थल पर उनका मार्ग दर्शन किया जाएगा तथा कोचिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अमृत (ए एम आर यू टी) सुधार एजेंडा के अनुसार, सांस्थानिक क्षमता का उद्देश्य परिणाम परिणामों को सुधारना है।

कार्य योजना (पी ओ ए)

वैयक्तिक क्षमता निर्माण : प्रशिक्षित मांग विश्लेषण (टीएनए)¹⁴ के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में निम्नलिखित चार विभागों पर ध्यान होगा।

- वित्त और राजस्व : वित्त आयोजना और प्रबंधन, राजस्व जुटाना।
- अभियान्त्रिकी तथा लोक स्वास्थ्य: जल और स्वच्छता वर्षा जल निकास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- नगर योजना: गरीब अनुकूल योजना दृष्टिकोण सहित शहरी योजना
- प्रशासन: ई—शासन, कम्प्यूटर तथा व्यावहारिक कौशल।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) प्रत्येक वर्ष चार विभागों तथा सभी चुने गए प्रतिनिधियों में से कम से कम 30 कार्यकारिणी को प्रशिक्षित करने की योजना बनाएंगे। चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित संस्थाओं में एक बार प्रशिक्षित प्रदान किया जाएगा, जिसमें भारत में सर्वोत्तम कार्य पद्धति से सीखने के लिए कार्य स्थल का दौरा करना शामिल होगा। जहां तक नगर पालिका पदाधिकारियों का संबंध है, 500 शहरी स्थानीय निकायों में से 45000 अधिकारियों को जून 2018 तक प्रशिक्षित किया जाएगा। एक वर्ष के इस प्रशिक्षण में तीन खंड शामिल होंगे। प्रत्येक खंड में प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिन का प्रशिक्षण शामिल होगा जिस में चार माह का प्रशिक्षण शामिल होगा जिसके दौरान नगर पालिका पदाधिकारी उनके कार्य में प्रशिक्षण को लागू करेंगे।

¹³ 1. 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के निरूपण के लिए शहरी विकास प्रबंधन 2011।

2. क्षमता निर्माण पर कार्य समूह की रिपोर्ट। नई दिल्ली, योजना आयोग।

3. भारतीय शहरी अवसरंचना और सेवा (एचपीईसी) पर रिपोर्ट। 2011, नई दिल्ली, शहरी विकास मंत्रालय।

4. जे एन एन यू आर एम—II पर समिति की रिपोर्ट: स्वच्छ बसितियां, सुरक्षित समुदाय तथा लोगों का शहर। नई दिल्ली: योजना आयोग।

5. जे एन यू आर एम का मूल्यांकन, ग्रांट थोर्नेटन, 2011, नई दिल्ली।

6. स्थानीय प्रशासन: भविष्य की ओर एक प्रेरक यात्रा, 6वीं रिपोर्ट, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, 2007, नई दिल्ली, भारत सरकार।

¹⁴ सीबीयूडी, 2014। प्रशिक्षित मांग विश्लेषण (टीएनए) तथा कार्यनीतिक प्रशिक्षित योजना की तैयारी का अध्ययन। नई दिल्ली: श.वि.मं. तथा विश्व बैंक।

अतः एक वर्ष की अवधि के दौरान एक नगरपालिका पदाधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान में नौ (9) दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

केन्द्र, राज्य तथा नगरपालिका सेवाओं से कई सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो यूएलबी में कार्यरत हैं। चार माह के दौरान, जब प्रशिक्षार्थी अपने कार्य स्थल पर लौटते हैं पर लौटेंगे तो ऐसे अधिकारी उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण एजेंसियां नगर पालिका पदाधिकारियों के साथ मार्गदर्शकों की नियुक्ति करेंगे। अंतः वर्ष भर के प्रशिक्षण में सर्वोत्तम कार्यपद्धति के रूप में आभिज्ञात भारत में एक पहल का एक दौरा और एक अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय कार्यशाला में एक बार भाग लेना भी निहित होगा। इन सभी गतिविधियों के लिए सीसीबीपी टूलकिट (पृष्ठ 18 तथा 19) में दिये गए मानदण्डों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तीन वर्ष के लिए संभावित लागत लगभग 100 करोड़ रु. होगी।

यह प्रशिक्षण सूची में सम्मिलित प्रशिक्षण एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा लाभ प्राप्त नहीं करने वाले अन्य संगठनों (भविष्य में इकाइयां कही जाएंगी) द्वारा आयोजित किया जाएगा। उन्हें राज्यों/प्रदेशों/क्षेत्रों में स्थित यूएलबी आबंटित किए जाएंगे। यूएलबी द्वारा प्रत्येक खंड की समाप्ति के बाद इकाईयों को भुगतान किया जाएगा, यह भुगतान प्रशिक्षण के इसके उद्देश्यों को पूरा करने के अधीन होगा जिसका मूल्यांकन एनआईयूए (अथवा इस के नामिति) ने स्वतंत्र रूप से किया हो। यदि एनआईयूए प्रशिक्षण में अंतराल पाता है तो प्रशिक्षण इकाईयों को अपनी लागत पर पुनः प्रशिक्षण आयोजित करना होगा।

एनआईयूए क्षमता निर्माण में शहरी विकास मंत्रालय का नीति भागीदार होगा तथा शहरी विकास मंत्रालय/राज्यों/यूएलबी को एकल खिड़की सेवा प्रदान करेगा। एनआईयूए प्रशिक्षण मोड्यूल की सूचना के प्रसारण, सर्वोत्तम व्यवहारों का दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण की प्रगति की निगरानी तथा अतिआवश्यक, चार माह के प्रत्येक प्रशिक्षित खंड की समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षण के लाभों के मूल्यांकन में शामिल होगा। यह मूल्यांकन एक वर्ष लंबी प्रशिक्षण अवधि के बाद सभी व्यक्तिगत नगर पालिका पदाधिकारियों के लिए किया जाएगा तथा प्रशिक्षण इकाईयों के साथ इन परिणामों को उनकी प्रशिक्षण पद्धतियों तथा माड्यूलों की समीक्षा हेतु साझा की जाएंगी, यदि आवश्यक हो, जिससे प्रशिक्षण को नगर पालिका पदाधिकारियों के लिए अधिक उपयुक्त तथा प्रासंगिक बनाया जा सके।

उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण इकाईयों द्वारा कक्षा में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के बाद निर्धारित मानक प्रारूपों में प्रशिक्षण का पदाधिकारी स्व—मूल्यांकन करेंगे। चार माह के बाद उनके कार्यस्थल से लौटने के पश्चात कार्यकारिणी पुनः स्व—मूल्यांकन करेंगे। अब, इसके अतिरिक्त, उनके पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थियों के कौशल, अभिवृत्ति तथा ज्ञान में सुधार का भी मूल्यांकन करेंगे। स्व—मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षक के मूल्यांकन से एनआईयूए तथा प्रशिक्षित प्रतिष्ठान को (i) व्यक्तिगत पदाधिकारियों कार्यकारिणी के उनके मौजूदा स्तरों (आधार—रेखा) पर ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति में प्रशिक्षण के प्रभाव तथा (ii) कार्य से संबंधित कार्य निष्पादन में सुधार की सूचना प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण रूप से, ऐसे वास्तविक मूल्यांकन से प्राप्त शिक्षा को यूएलबी/राज्यों के लिए शिक्षा के प्रसार तथा भविष्य की गतिविधियों को डिजाइन करने में एनआईयूए द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा।

राष्ट्रीय मिशन निदेशक से परामर्श करके एनआईयूए सीसीबीपी के सभी अन्य घटकों (उदाहरण—कार्यशालाएं, सेमीनार, आगमन इत्यादि) को शुरू करने की जांच करेगा तथा अनुमोदन देगा। एनआईयूए क्षमता निर्माण योजना के पाठ्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से एक वार्षिक क्षमता निर्माण रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इस प्रयोजन के लिए मिशन निधि में से एनआईयूए को पर्याप्त तकनीकी तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराए

जाएंगे। वैयक्तिक क्षमता निर्माण के लिए निधियां राज्य के प्रशासनिक तथा अन्य व्यय/सीबीयूडी की निधियों में से उपलब्ध कराई जाएंगी।

संस्थागत क्षमता निर्माण: इसका लक्ष्य बाहरी विशेषज्ञों तथा प्रोफेशनल की सहायता से संस्थागत परिणामों में (उदाहरणार्थ उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता, सेवाप्रदायगी, नागरिकों का सशक्तिकरण, संसाधन जुटाना) सुधार लाना है। बाहरी संसाधन दो तरह से जुटाए जा सकते हैं: (i) कार्यों की आउटसोर्सिंग तथा (ii) पदाधिकारियों की आउटसोर्सिंग के द्वारा। पदाधिकारियों की आउटसोर्सिंग में मानव संसाधन एजेंसियां मानव संसाधन की आपूर्ति करती हैं, जबकि कार्यों की आउटसोर्सिंग में कोई कार्यकलाप/कार्य बाहरी कंपनी, संगठन अथवा संस्था को दे दिया जाता है। दोनों मामलों में, लक्ष्यों और परिणामों की उपलब्धियों के आधार पर भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय मिशन निदेशक के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एवं ओई निधि/सीसीबीपी/सीबीयूडी के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों की आउटसोर्सिंग तथा उनका वित्तपोषण किया जाएगा :

1. स्मार्ट सिटी चयन स्पर्धा के लिए स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव की तैयारी के लिए हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और/अथवा परामर्शदात्री फर्मों को सूचीबद्ध करना।
2. एसएलआईपी की तैयारी, परियोजना विकास (उदाहरणार्थ डिजाइन, अनुमान) तथा प्रबंधन के लिए अमृत में प्रारंभ से अंत तक सहायता पूरा करने के लिए हैंडहोल्डिंग एजेंसियों तथा/अथवा परामर्श दात्री फर्मों को सूचीबद्ध करना।
3. अमृत सुधारों तथा सीसीबीपी टूलकिट¹⁵ में अभिज्ञान संकेतकों के अनुसार परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुधार कार्यसूची के कार्यान्वयन में सहायता करना।
4. व्यवसायियों तथा प्रबंधकों को उपलब्ध कराकर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यीय वाहनों के लिए मानव संसाधन तथा सभी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
5. यूएलबी के बाहरी संसाधनों को जुटाना तथा आंतरिक संसाधन सृजन में सुधार लाना। उदाहरण के लिए, भूमि को मुद्रा के रूप में चलाने तथा कर वृद्धि वित्त—पोषक प्रस्ताव तैयार करने के लिए यूएलबी के सहायता उपलब्ध कराकर यूएलबी क्रेडिट रेटिंग के द्वारा म्यूनिसिपल बांडों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना, निजी वित्त—पोषण प्राप्त करना इत्यादि।
6. निर्णय लेने में जीआईएस के उपयोग करने में यूएलबी को सक्षम बनाने के लिए आंकड़ों (प्रतीकात्मक तालिका) से संबंधित बहुस्तरीय जीआईएस मानचित्र तैयार करना।
7. अमृत सुधार एजेंडा को कार्यान्वित करने के लिए कानून और नियमों (जैसे—लैंडपूलिंग) के संशोधन में राज्यों/यूएलबी की सहायता प्रदान करना।

यह संपूर्ण सूची नहीं है तथा इसमें मिशन के कार्यान्वयन के समय अन्य नई मदें भी शामिल की जाएंगी।

पीएमयू पीआईयू आरपीएमसी इत्यादि जैसी राज्य तथा यूएलबी स्तरों पर अनेक संस्थाएं उपलब्ध हैं। इस समय, मिशन द्वारा केवल राज्य स्तरीय सुधार तथा कार्यनिष्ठादन प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरएमपीसी) को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वे सीसीबीपी टूलकिट में दिए गए कार्यों को निष्पादित करेंगे, लेकिन उनका ध्यान

¹⁵ पृष्ठ 41, अनुबंध 7, कार्य निष्पादन मानदंड/बैचमार्क

(क) एसएएपी, सुधार कार्यान्वयन को तैयार करने में मिशन निदेशक की सहायता करना ताकि सुधार प्रोत्साहन के लिए अर्हता-प्राप्त करने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत सुधार लाया जा सके तथा (ख) एएमआरयूटी में निर्धारित सुधारों के कार्यान्वयन में उन्हें सहायता देने के लिए मिशन के सभी शहरों का दौरा करना। शहरी प्रबंधन प्रकोष्ठ (यूएमसी) की भी मिशन द्वारा सहायता की जाएगी तथा राज्य मिशन निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। सीसीबीपी टूलकिट में दिए गए उनके कार्यों के अलावा वे (i) अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एटीआई, सूचीबद्ध प्रशिक्षण एजेंसियों तथा यूएलबी के मध्य समन्वय और सहयोग स्थापित करने, (ii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण चलाने, (iii) सूचीबद्ध एजेंसियों के सहयोग से म्यूनिसिपल पदाधिकारियों के लिए पूरे वर्ष हेतु कार्यान्वयनी कोचिंग प्रदान करने, तथा (iv) सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं तथा एटीआई के मध्य भागीदारी और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

राज्य/यूएलबी शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन के लिए एसएएपी के साथ निम्नलिखित फार्म में एक क्षमता विकास योजना प्रस्तुत करेंगे।

तालिका 7.1 यूएलबी स्तरीय व्यक्तिगत क्षमता विकास योजना

(यूएलबी द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने हेतु)

प्रपत्र 7.1.1 भौतिक

यूएलबी का नाम :

वित्त वर्ष :

क्र.सं.	विभाग का नाम / स्थिति	मिशन (2015) के प्रारंभ से विन्हित कर्मचारियों (सरकारी / निर्वाचित प्रतिनिधियों) की कुल संख्या	पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षितों की संख्या	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किये जाने वालों की संख्या	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	वर्तमान वित्त वर्ष के समापन के बाद प्रशिक्षितों की संचयी संख्या।
1	निर्वाचित प्रतिनिधि					
2	वित्त विभाग					
3	अभियांत्रिकी विभाग					
4	नगर नियोजन विभाग					
5	प्रशासन विभाग					
	कुल					

प्रपत्र 7.1.2 वित्तीय

यूएलबी का नाम :

वित्त वर्ष :

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्तमान वित्त वर्ष तक जारी संचयी धनराशि	वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल व्यय	पूर्व में जारी धनराशि से उपलब्ध अव्ययित धनराशि	प्रपत्र 7.1.1 में दिए गए लोगों की संख्या के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपेक्षित धनराशि
1	निर्वाचित प्रतिनिधि				
2	वित्त विभाग				
3	अभियांत्रिकी विभाग				
4	नगर नियोजन विभाग				
5	प्रशासन विभाग				
	कुल				

तालिका 7.2 क्षमता निर्माण हेतु वार्षिक कार्य योजना

(राज्यों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को भेजे जाने हेतु)

राज्य का नाम :.....

अमृत में मिशन शहरों की संख्या

वित्त वर्ष :

प्रपत्र 7.2.1 यूएलबी स्तर पर व्यक्तिगत क्षमता निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	वर्तमान वित्त वर्ष में विभाग—वार प्रशिक्षित किए जाने वालों की कुल संख्या						निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	मौजूदा वित्त वर्ष में अपेक्षित धनराशि
		निर्वाचित प्रतिनिधि	वित्त विभाग	अभियांत्रिकी विभाग	नगर नियोजन विभाग	प्रशासन विभाग	कुल			
1	यूएलबी 1									
2	यूएलबी 2									
3	यूएलबी 3									
4	यूएलबी 4									
कुल										

प्रपत्र 7.2.2 राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए अपेक्षित धनराशि

क्र.सं.	राज्य स्तरीय गतिविधि	वर्तमान वित्त वर्ष तक जारी संचयी धनराशि	वर्तमान वित्त वर्ष तक कुल व्यय	पूर्व में जारी धनराशि से उपलब्ध अव्ययित धनराशि	वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपेक्षित धनराशि
1	आरपीएमसी				
2	यूएलसी				
3	अन्य (जैसे कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि) जो एनआईयू के द्वारा अनुमोदित हों।				
4	सांस्थानिक				
कुल					

प्रपत्र 7.2.3 क्षमता निर्माण हेतु अपेक्षित कुल धनराशि

क्र.सं.	अपेक्षित धनराशियां	व्यक्तिगत	सांस्थानिक	आरपीएमसी एवं यूएमसी	अन्य	कुल
1	मिशन में प्रारंभ से कुल जारी धन राशि (2015)					
2	कुल प्रयुक्ति— केन्द्रीय अंश					
3	उपलब्ध बकाया— केन्द्रीय अंश					
4	अपेक्षित धनराशि— केन्द्रीय अंश					
5	वर्तमान वित्त वर्ष में क्षमता निर्माण के लिए अपेक्षित कुल धनराशि					

प्रपत्र 7.2.4 सांस्थानिक क्षमता निर्माण का ब्यौरा

क. क्या भूमि एकीकरण को शामिल करने के लिए राज्य अपने शहरी योजना कानूनों एवं विनियमों में संशोधन के इच्छुक हैं?

ख. शहरी स्थानीय निकायों की सूची, जो बाण्ड को जारी करने के लिए प्रथम कदम के रूप में क्रेडिट रेटिंग कराने के इच्छुक हैं?

ग. क्या राज्य शहरी स्थानीय निकायों में निर्णयन के लिए जीआईएस को उपयोगी बनाने हेतु जीआईएस में किए गए सभी कार्यों को एकीकृत करने के इच्छुक हैं?

घ. क्या राज्य शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय उपकरण के रूप में भूमि के उपयोग के लिए सहायता लेने के इच्छुक हैं?

.....

.....

ङ. क्या राज्य को म्युनिसिपल कौडर के व्यवसायीकरण हेतु सहायता की आवश्यकता है?

.....

.....

च. क्या राज्य को शहरी स्थानीय निकायों में गैर-राजस्व जल को कम करने हेतु सहायता की आवश्यकता है?

.....

.....

छ. क्या राज्य को शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर मूल्यांकन एवं संचयन में सुधार हेतु सहायता की आवश्यकता है?

.....

.....

ज. क्या राज्य को एक वित्तीय मध्यस्थ की स्थापना हेतु सहायता की आवश्यकता है?

.....

.....

झ. अमृत सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन की अन्य कोई क्षमता सहायता जो इन दिशानिर्देशों में निर्धारित हों?

.....

.....

तालिका 7.3 राज्यों के लिए तिमाही अंक सूची
क्षमता निर्माण पर वित्तीय और भौतिक प्रगति (यूएलबी स्तर)
(शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य को भेजे जाने हेतु)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	विभाग का नाम / स्थिति	भौतिक		वित्तीय		वर्तमान वित्त वर्ष में उपलब्ध शेष धनराशि	आनुपातिक लक्ष्य से आगे (+) अथवा पीछे (-)
		आनुपातिक यूएलबी लक्ष्य	आनुपातिक लक्ष्य के संबंध में यूएलबी की उपलब्धि	मौजूदा वित्त वर्ष में आबंटित आनुपातिक धनराशि	आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में उपयोग की गई धनराशि		
यूएलबी— 1	निर्वाचित प्रतिनिधि						
	वित्त विभाग						
	अभियांत्रिकी विभाग						
	नगर नियोजन विभाग						
	प्रशासन विभाग						
यूएलबी— 2	निर्वाचित प्रतिनिधि						
	वित्त विभाग						
	अभियांत्रिकी विभाग						
	नगर नियोजन विभाग						
	प्रशासन विभाग						

तालिका 7.4 : राज्यों के लिए तिमाही अंक सूची
क्षमता निर्माण संबंधी वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति (राज्य स्तरीय)
(राज्यों द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को भेजे जाने हेतु)

यूएलबी की कुल संख्या :

समाप्त तिमाही :

अनुपातिक लक्ष्य से ऊपर/नीचे यूएलबी की संख्या (तालिका 7.3 से)	विभाग का नाम / स्थिति	भौतिक		वित्तीय	 तिमाही तक प्रशिक्षितों की कुल संख्या, यदि संगत हो तिमाही तक उपयोग की गई कुल धनराशि
		वित्त वर्ष में कुल लक्ष्य	तिमाही तक अनुपात लक्ष्य	वर्तमान वित्त वर्ष में आबंटित धनराशि तिमाही तक अनुपात लक्ष्य		
.....	व्यवितरण प्रशिक्षण						
	सांस्थानिक क्षमता निर्माण						
	आरपीएमसी और यूएमसी						
	अन्य—स्पष्ट करें						
	अन्य—स्पष्ट करें						

अनुलग्नक 8 : आद्योपान्त सहायता का क्षेत्र

1. प्रत्येक पीडीएमसी को राज्य के संबंधित राजधानी शहर में एक राज्य कार्यालय (जिसमें परियोजना प्रबंधन और डिजाइन व्यवसायियों शामिल होंगे) और बहुक्षेत्रीय कार्यालय (जिसमें परियोजना कार्यान्वयन व्यवसायी शामिल होंगे) होंगे। पीडीएमसी के प्रबंधन और डिजाइन व्यवसायी राज्य कार्यालय में होंगे और वे कार्य की आवश्यकतानुसार परियोजना शहरों में यात्रा करेंगे।
2. 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में परियोजना कार्यान्वयन व्यवसायी होंगे और पांच लाख से कम आबादी वाले सभी आस-पास अमृत शहरों की सेवा करेंगे। असाधारण मामलों में राज्य तीन लाख आबादी वाले शहरों के आस-पास कई शहरों के लिए पीडीएमसी नियुक्त कर सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में प्रचलित विशेष परिस्थितियों के आधार पर वे कार्यान्वयन व्यवसायियों का पता लगाने के लिए एक भिन्न संरचना पर निर्णय ले सकते हैं।
3. प्रस्तावित मिशन के अंतर्गत पीडीएमसी के क्षेत्र को चार व्यापक घटकों अर्थात् आयोजना, डिजाइन, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन में विभाजित किया जाएगा। पीडीएमसी के क्षेत्र में नगर-व्यापी संकल्पना योजना, सेवा-स्तरीय सुधार योजना (एसएलआईपी) राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) शामिल हैं। पीडीएमसी एसएलआईपी ढांचे के आधार पर परियोजनाओं का पता लगाएंगे और अपेक्षित जांच, डिजाइन, क्रय, अधिप्रापण और कार्यान्वयन करेंगे। पीडीएमसी पीएमआईएस/अद्यतन आइटी साधनों तथा साइबर साधनों/उपकरणों की सहायता से कार्य स्थलों की ऑन-लाइन निगरानी जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए परियोजना के कार्यकलापों की निगरानी और अनुपालनों को भी सुनिश्चित करेंगे।
4. पीडीएमसी “शहर-व्यापी संकल्पना योजना” को विकसित करेंगे जो पूर्णतया नगर विकास योजना (सीडीपी) नहीं है। यह पुरानी अथवा संशोधित नगर विकास योजना पर आधारित हो सकती है। शहर-व्यापी संकल्पना योजना में नगर विजन, विवरण, स्थिति विश्लेषण/जल आपूर्ति का वही विवरण, वर्षा जल निकासी, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन और खुले स्थान (उदाहरणार्थ—पार्क और खेल के मैदान) होंगे। सभी विभागों और एजेंसियों की सभी पिछली योजनाओं और दस्तावेजों (उदाहरणार्थ नगर सफाई योजना, नगर गतिशीलता योजना, मास्टर प्लान और अन्य योजनाएं) की सेवा स्तरीय मानदंडों (एसएलबी) की उपलब्धि पर ध्यान केन्द्रित करने वाली एक समग्र कार्यनीति तैयार करने के लिए भी समीक्षा की जाएगी। नगर के लोगों को बेहतर और उन्नत बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को लागू करने की संभावनाओं को इस कार्यनीति में शामिल किया जाएगा।
5. पीडीएमसी जल आपूर्ति और सीवरेज की कवरेज मौजूदा स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जानकारी और योजनाएं बनाएंगे। लगभग सभी मिशन शहरों में कुछ आंकड़े, सूचना और योजनाएं होंगी। उदाहरणार्थ—जल आपूर्ति और सीवरेज में जमीनी रूपरेखा के आधार पर आधारभूत यूनिट जोन (अथवा समकक्ष) है। जोन में जल कनेक्शनों वाले परिवारों की संख्या और जिनके पास ये कनेक्शन नहीं हैं, उनकी संख्या जनगणना (2011) अथवा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण से ली जाएगी। योजना अवस्था पर किसी नए आधारभूत सर्वेक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है।
6. एक बार जल और सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शनों वाले परिवारों की मौजूदा संख्या और परिवारों की कुल संख्या के बीच के अन्तर का हिसाब लगा लिया जाता है तो मिशन दिशानिर्देशों में निर्धारित एक अथवा इससे अधिक घटकों का उपयोग करके इस अन्तर को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी।
7. इससे आगे किसी जोन में जल आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज कनेक्शनों से सभी परिवारों को कवर करने के लिए विभिन्न तरीकों, तकनीकी और वित्तीय दोनों तरीकों को दर्शाते हुए विकल्प तैयार करने के लिए तकनीकी जांच की जाएगी।

8. पीडीएमसी अन्य स्कीमों से अन्तर—सम्पर्कों, मुख्यतः कवरेज, प्रभाव, परिणामों इत्यादि; परिणामों में समाभिरूपता के सदर्भ में जांच और उनका उपयोग करेंगे तथा निधियों के प्रवाह के लिए भी कार्य किया जाएगा। यहां कम साधनों से अधिक कार्य करने के नवीन तरीकों, स्मार्ट हलों के प्रयोग और नागरिक जनित नवीन तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस परियोजना की प्रत्येक वैकल्पिक लागत (पूँजीगत और प्रचालन एवं अनुरक्षण दोनों) के लिए ऑनलाइन (अथवा सार) अनुमानों के आधार पर तैयार किये जाएंगे। इस जांच के पश्चात, सेवा स्तरीय सुधार योजना (एसएलआइपी) तैयार की जाएगी जिसमें उनकी पूँजीगत और प्रचालन एवं अनुरक्षण लागतों के साथ वाले विकल्प समाहित होंगे।
9. अगले पांच वर्षों के लिए एसएलआइपी में परियोजनाओं का कार्यक्रम जोनों/शहरी स्थानीय निकायों में सभी परियोजनाओं की संभावित लागतों के बारे में उनको सूचित करने के पश्चात नागरिकों से परामर्श लेते हुए बनाया जाएगा। शहर आयोजना और एसएलआईपी विकास लोक—चालित होगा और उसको आवासी कल्याण संघों, कर दाता संघों, वरिष्ठ नागरिकों, वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, स्लम वासी संघ समूहों जैसे विविध लोगों और लोगों के समूहों को शामिल करते हुए नागरिक परामर्शी बैठकों के माध्यम से किया जाएगा। इन परामर्शों के दौरान उत्तम पद्धियों और समुचित स्मार्ट हलों के विवरणों को नागरिकों के साथ उनको सोचे—समझे निर्णय करने तथा नवीन हल सृजित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए भी साझा किया जाएगा। नागरिक सहभागिता उत्तरोत्तर आईसीटी, विशेषतौर से मोबाइल—आधारित साधनों पर निर्भर करेगी।
10. एक वित्तीय योजना भी तैयार की जाएगी। परामर्शों के दौरान नागरिकों को लागत और निधियों के बाह्य स्रोतों की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी जाएगी। नवीन वित्त—पोषण मॉडलों और तंत्रों का पूरी तरह से वर्णित किया जाएगा। बैंचमार्क स्तरों, कम लागतों और कम संसाधनों का उपभोग करके मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में चुनौती को नागरिकों के साथ साझा किया जाएगा।
11. एसएएपी को विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान, पीडीएमसी को सार्वजनिक—निजी भागीदारियों (पीपीपी) का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना चाहिए जो वरीय निष्पादन मॉडल होना चाहिए।
12. एसएएपी के अंतर्गत पता लगाई गई और अनुमोदित की गई परियोजना के लिए, पीडीएमसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली दस्तावेज तैयार करेंगे। सेवा स्तरीय सूचकों के सदर्भ में अवस्थापना स्थिति, अन्तर और मांग अनुमान की समीक्षा चिह्नित परियोजनाओं के लिए की जाएगी। परियोजना घटक की समाभिरूपता को अन्य क्षेत्रीय और शहर में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
13. क्षेत्रीय/प्रयोगशाला जांचों, सर्वेक्षणों, तकनीकी विकल्पों का निर्माण, डिजाइन, लागत अनुमान और पुनर्वास एवं पर्यावरणिक मुद्दों के हलों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। इस परियोजना के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्यनीति समेत वित्त योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग होगी।
14. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय नागरिकों को बेहतर और उन्नत आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियां लागू करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। प्रारूप डीपीआर के स्तर पर, पीडीएमसी द्वारा नागरिकों को लगाने और फीडबैक प्राप्त करने तथा यदि आवश्यक हो, तो मध्यवर्ती सुधार की प्रक्रिया अपनाने के लिए पहले स्तर के परामर्शों को सुकर बनाया जाएगा।
15. डीपीआर, पीपीपी/सेवा स्तरीय करारों अथवा प्रत्यक्ष संविदा के विकल्पों का पता लगाने समेत संविदा अवसरों का पता लगाएगी और तदनुसार सदृश बोली दस्तावेज प्रदान करेगी। बोली दस्तावेज के आधार पर, पीडीएमसी राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों की उनके कानूनों और नियमों के अनुसार संविदा फर्मों के अधिप्रापण में सहायता करेंगे।

16. पीडीएमसी शहरी स्थानीय निकायों/राज्य पैरास्टेटल को परियोजना निष्पादन में व्यापक सहायता प्रदान करेंगे। ये लागत, समय और गुणवत्ता अनुपालनों को सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे जैसी कि संविदा करार में परिकल्पना की गई है। राज्य और शहर की सरकारों द्वारा तेजी से निर्णय करने के लिए पीडीएमसी की फर्मों की सुविज्ञता का उपयोग किया जाएगा ताकि लागत अनुमानों के भीतर परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
17. पीडीएमसी, प्रस्तावित अवस्थापना परियोजना और सेवाओं की प्रदानगी में संपर्क को भी सुनिश्चित करेंगे। ये सेवा स्तरीय सूचकों में सुधार की निगरानी करेंगे जैसा कि राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) में निहित है। कार्यान्वन के चरण के दौरान पीडीएमसी द्वारा लाभदायक फीडबैक लेने के लिए समय—समय पर द्वितीय स्तर परामर्शों को भी सुकर बनाया जाएगा।
18. सभी कार्यों को मिशन विवरण और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अमृत (एएमआरयूटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।
19. कार्य के विशिष्ट क्षेत्र, व्यावसायिक स्टॉफ की आवश्यकता, भुगतान कार्यक्रम और कार्यान्वयन व्यवस्था सहित विस्तृत विचारार्थ विषय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पैनलबद्ध परामर्शी फर्मों को जारी किए जाने वाले प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में प्रदान किए जाएंगे।



स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूँगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।

मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूँगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करूँगा।

मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

